मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20

गांधी सागर बांध, जिला मंदसौर
(पूर्ण भराव का विहंगम दृश्य वर्ष 2019)

जल संसाधन विभाग

गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जिला मंदसौर
(कनवाली पंपिग स्टेशन) ▼

गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जिला मंदसौर
(रूपा सूक्ष्म सिंचाई पंप हाउस) ▼

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20

जल संसाधन विभाग

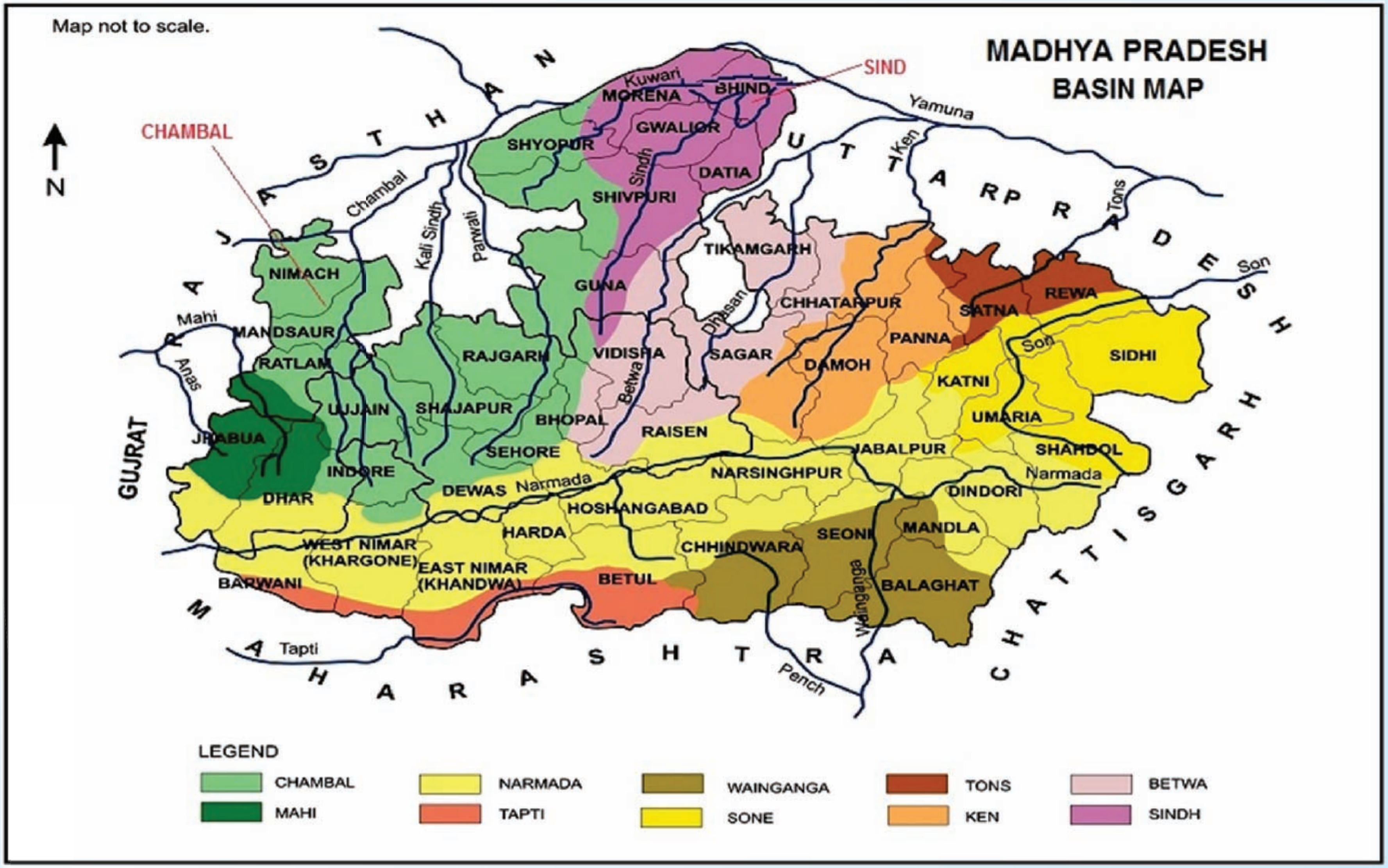
MADHYA PRADESH
BASIN MAP
Map not to scale.
N
CHAMBAL
SIND
RAJASTHAN
UTTAR PRADESH
CHATTISGARH
MAHARASHTRA
GUJRAT
Kuwari
Yamuna
Ken
Tons
Son
Chambal
Kali Sindh
Parwati
Sindh
Betwa
Dhasan
Mahi
Anas
Narmada
Tapti
Pench
Wainganga
MORENA
BHIND
GWALIOR
SHYOPUR
DATIA
SHIVPURI
TIKAMGARH
CHHATARPUR
REWA
SATNA
PANNA
SIDHI
GUNA
NIMACH
MANDSAUR
RATLAM
RAJGARH
VIDISHA
SAGAR
DAMOH
KATNI
UMARIA
SHAHDOL
UJJAIN
SHAJAPUR
BHOPAL
RAISEN
JHABUA
SEHORE
INDORE
JABALPUR
DHAR
DEWAS
NARSINGHPUR
DINDORI
HOSHANGABAD
HARDA
SEONI
MANDLA
WEST NIMAR
(KHARGONE)
EAST NIMAR
(KHANDWA)
CHHINDWARA
BETUL
BALAGHAT
BARWANI
LEGEND
CHAMBAL
MAHI
NARMADA
TAPTI
WAINGANGA
SONE
TONS
KEN
BETWA
SINDH

जल संसाधन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2019–20

►	विभाग का नाम	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
►	मंत्री	माननीय श्री तुलसीराम सिलावट
	मंत्रालय	
►	प्रमुख सचिव	श्री डी.पी. आहूजा
►	उपसचिव	श्री व्ही.एस. टेकाम
►	अवर सचिव	श्री पी.के. खरे
	विभागाध्यक्ष	
►	प्रमुख अभियन्ता	श्री श्रीकांत दाण्डेकर
►	आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास	श्री मदन सिंह डाबर

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु नियंत्रण एवं संचालन कक्ष
(बानसुजारा परियोजना ज़िला टीकमगढ़)

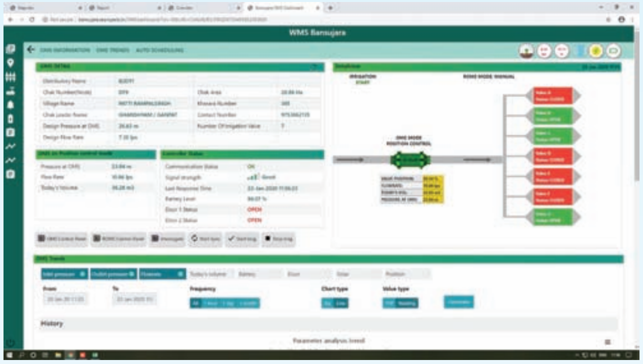

विषय विवरणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
अध्याय– I	**विभाग की संरचना**	7
1.1	प्रदेश की सामान्य जानकारी	7
1.2	विभाग की संरचना	8
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण	10
1.4	विभाग का दायित्व	11
1.5	विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य	12
अध्याय–2	**विभागीय बजट**	15
2.1	बजट पूर्वावलोकन	15
2.2	बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय	15
2.3	विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	16
अध्याय–3	**राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनाएं**	19
3.1	विभाग के अधीन परियोजनाएं	19
3.1.1	वृहद सिंचाई परियोजनाएं	19
3.1.2	मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	24
3.1.3	लघु सिंचाई योजनाएं	32
3.2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	35
3.2.1	ए.आई.बी.पी.(त्वरित सिंचाई लाभ योजना)	35
3.2.2	पुनर्स्थापन,पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण (आर.आर.आर.)	36
3.2.3	कमाण्ड क्षेत्र विकास	36
3.3	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	38
3.4	नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनाएं	40
3.5	डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP)	40
3.6	बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज	42
3.7	केन बेतवा लिंक परियोजना	43
अध्याय–4	**सिंचाई एवं राजस्व**	47
4.1	सिंचाई	47
4.2	राजस्व	49

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
4.3	प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति	52
अध्याय–5	**विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएँ**	53
5.1	प्रमुख अभियंता कार्यालय अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचनाएं	53
5.1.1	सतर्कता प्रकोष्ठ	53
5.1.2	न्यायालयीन प्रकोष्ठ	55
5.1.3	विधानसभा प्रकोष्ठ	56
5.1.4	सूचना का अधिकार	56
5.2	आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचना	56
5.2.1	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संचालनालय (पी.आई.एम.)	56
5.3	मुख्य अभियंता बोधी के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचनाएं	58
5.3.1	बांध सुरक्षा संगठन	58
5.3.2	सिंचाई अनुसंधान संचालनालय	59
5.3.3	जल मौसम विज्ञान संचालनालय	62
5.3.4	भू–जल सर्वेक्षण ईकाई	63
5.4	मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी	64
5.4.1	केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई	64
अध्याय–6	**जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि**	65
अध्याय–7	**विभाग की प्रतिबद्धताएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ**	67
7.1	विभाग की प्रतिबद्धता	67
7.2	महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	68

अध्याय – एक

विभाग की संरचना

1.1 प्रदेश की सामान्य जानकारी :–

मध्यप्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 308 लाख हेक्टर है। जलवायु मूलतः ऊष्ण कटिबंधीय एवं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून पर आश्रित है। इसे 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भाग में 60 से.मी. तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुसार 726.27 लाख है, जो देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या का 69.08 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। कृषकों में से 52 प्रतिशत कृषक सीमांत कृषक हैं।

1.1.1 मध्यप्रदेश जल स्त्रोतों से संपन्न राज्य है। राज्य में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा एवं माही नदियों का उद्गम स्थल है। राज्य की नदियां केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिम विहीन पर्वतों से है। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा, माही एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर सोन नदी पूर्व की ओर चम्बल, बेतवा, केन उत्तर की ओर तथा पेंच एवं वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 75 प्रतिशत निर्भरता पर 81500 मिलियन घनमीटर है जिसमें 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। शेष 24700 मिलियन घनमीटर जल अंतर्राज्यीय समझौते के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को आवंटित है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34159 मिलियन घनमीटर आंकलित है।

1.1.2 मध्यप्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। विभाग द्वारा दिसंबर 2019 तक सकल सैंच्य क्षेत्र 33.45 लाख हेक्टर विकसित किया गया है। वर्ष 2019–20 हेतु खरीफ में 2.00 लाख हेक्टर एवं रबी में 20 जनवरी 2020 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य 30.71 लाख हेक्टर के विरुद्ध 27.39 लाख हेक्टर में सिंचाई की जा चुकी है। इस प्रकार वर्ष 2019–20 में कुल 29.39 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है । आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 45 लाख हेक्टर है । विभाग द्वारा निर्मित बाँधों से औद्योगिक इकाईयों के साथ–साथ अधिकांश नगरों एवं कस्बों में पेयजल हेतु जल भी प्रदाय किया जा रहा है।

1.2 विभाग की संरचना

मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। जल संसाधन विभाग को प्रदेश में शासकीय जल स्त्रोतों से जल संसाधन परियोजनाओं का विकास तथा प्रबंधन (नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं को छोड़कर) का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के सैंच्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभाग के अधीन है। जल संसाधन विभाग की स्थापना में दो विभागाध्यक्ष (1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन एवं 1 आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय) एवं 14 मुख्य अभियन्ता के पद (सिविल तथा वि/यॉ) स्वीकृत हैं।

1.2.1 **प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग** के अन्तर्गत मैदानी मुख्य अभियंताओं का जिलेवार अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है :-

1. मुख्य अभियंता,चम्बल बेतवा कछार, भोपाल

जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना एवं अशोकनगर।

2. मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर

जिला इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलिराजपुर एवं आगर मालवा।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन

मुख्य अभियंता, नर्मदा-मालवा लिंक परियोजना, भोपाल को शासनादेश क्रमांक एफ1-16/2019 /पी 1/इकतीस (01) दिनांक 18.12.2019 द्वारा नवीन नाम अर्थात् मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन के नाम पुनर्विनियोजन फलस्वरूप स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन मुख्य अभियंता के अन्तर्गत उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, नीमच एवं मंदसौर जिले शामिल किए गए हैं।

4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद

जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन एवं सीहोर

5. मुख्य अभियंता, यमुना कछार, ग्वालियर

जिला ग्वालियर, श्योपुर-कलां, भिण्ड, मुरैना एवं शिवपुरी (सिंध परियोजना द्वितीय चरण को छोड़

कर) तथा जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कोटा (राजस्थान)।

6. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा :

जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली एवं सतना।

7. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार, सागर

जिला सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, निवाड़ी एवं टीकमगढ़।

8. मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, सिवनी

जिला सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं कटनी ।

9. मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना, दतिया

राजघाट नहर, सिंध परियोजना द्वितीय चरण एवं बानसुजारा परियोजना का कार्य जिससे दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर एव झाँसी (उत्तर प्रदेश) जिलों में सिंचाई होती है।

10. परियोजना संचालक, एम.के.पी.एम.यू., राजगढ़

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, एम.के.पी.एम.यू., राजगढ़ का गठन दिनांक 20.03.2018 को मोहनपुरा एवं कुण्डालिया वृहद् परियोजना के निर्माण हेतु किया गया।

1.2.2 मुख्य अभियंता (विशेष प्रयोजन)

1. मुख्य अभियंता, ब्यूरो ऑफ डिजाईन (बोधी) भोपाल
2. मुख्य अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी भोपाल
3. मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) केन्द्रीय निविदा इकाई, भोपाल
4. मुख्य अभियंता, अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई, भोपाल

1.2.3 जल संसाधन विभाग अंतर्गत वृहद् परियोजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने की दृष्टि से पांच पी.एम.यू. इकाई का निम्नानुसार गठन हुआ है :–

1. **पदेन परियोजना संचालक**, एस.एस.पी.एम.यू., इन्दौर का गठन दिनांक 15-06-2018 को किया

गया। (ाामगढ़–सुवासरा, गरोठ एवं भानपुरा नहर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु)

2. **पदेन परियोजना संचालक**, बीना पी.एम.यू., सागर का गठन दिनांक 22.02.2018 को किया गया । (पंचमनगर, साजली, जूड़ी एवं सीतानगर मध्यम परियोजना के क्रियान्वयन हेतु) ।

3. **पदेन परियोजना संचालक**, ओ.आर.पी.एम.यू. बामोरकला, का गठन दिनांक 15.03.2018 को किया गया। (लोअर ओर वृहद् परियोजना एवं चंदेरी उद्‌वहन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु)

4. **पदेन परियोजना संचालक**, मॉ रतनगढ़ परियोजना मैनेजमेंट यूनिट (एम.आर.पी.एम.यू.डब्ल्यू. आर.डी.) का गठन दिनांक 31.10.2019 को किया गया। **(** मॉ रतनगढ़ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु)।

5. **पदेन परियोजना संचालक**, बेतवा परियोजना मैनेजमेंट यूनिट (बीपीएमयू) का गठन दिनांक 07.08.2019 को किया गया । (बीना काम्प्लेक्स परियोजना एवं कोठा बैराज के क्रियान्वयन हेतु)।

1.2.4 आयुक्त, कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय, भोपाल

विभाग की परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास एवं बेहतर भूमि व जल प्रबंधन के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्‌देश्य से यह संरचना गठित है।

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभागान्तर्गत प्रमुख अभियंता, आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास (प्रमुख अभियन्ता स्तर), 13 मुख्य अभियंता (नागरिक), एक मुख्य अभियन्ता (वि.यां.), 33 मंडल कार्यालय, आयाकट से संबंधित 8 प्रकोष्ठ, 124 संभाग एवं 515 उपसंभाग (वि.यां./भूजल इकाई सहित) कार्यरत हैं । इस विभाग की संरचना से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में अमला उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य तकनीकी परीक्षक, लोकायुक्त संगठन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय एवं प्रदेश के अन्य विभागों/प्राधिकरणों में शासकीय सेवकों की सेवाएँ शासन की अनुमति उपरांत प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रथम श्रेणी के 345, द्वितीय श्रेणी के 1147, तृतीय श्रेणी के 8864 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2000 पद स्वीकृत हैं। नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ–साथ विभाग में कार्यभारित स्थापना के लगभग 6348 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अमले द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित

सर्वेक्षण, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। स्थाई कर्मियों की संख्या भी लगभग 11,343 है।

1.4 विभाग का दायित्व

मध्यप्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। जिसके अंतर्गत :–

- राज्य के जल संसाधन का आंकलन करना और एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की व्यापक योजना बनाना, नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना।
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के विकास के क्रियान्वयन का कार्य करना।
- भू–जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर, सिंचाई के लिए जल संसाधनों के सम्यक अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंकडों को एकत्र करना, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करना तथा नीति निर्धारण।
- परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण तथा निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण।
- बांधों, नहरों का समग्र रूपांकन, निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रतिकृति अध्ययन।
- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा जल विज्ञान की सहायता से जलाशयों का बाढ़ के समय परिचालन।
- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की नीति के अनुरूप सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन ।
- पुराने बांधों एवं नहरों का सुदृढ़ीकरण करना।

- केन्द्र शासन को जल संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर सहयोग एवं जानकारी उपलब्ध कराना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से संबंधित परिषदों में प्रदेश का पक्ष रखना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से राज्यों के मध्य अनुबंध अनुसार सिंचाई के लिये जल प्राप्त/प्रदाय करना।
- जल से संबंधित विषयों पर अन्य विभागों को सहयोग देना ।
- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्य एवं संवर्ग प्रबन्धन।
- विभागीय कार्यों की दरों को समय–समय पर पुनरीक्षित करना, तकनीकी निर्देश, नियम इत्यादि तैयार करना।

1.5 विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

1.5.1 प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रदेश के लिये कार्यरत हैं। प्रमुख अभियंता शासन के लिए अपने कार्यक्षेत्र हेतु सलाहकार हैं तथा मुख्य अभियंताओं के बीच समन्वय का कार्य करते हैं।

1.5.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विकास की समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सर्वेक्षण, निर्माण, अनुरक्षण कार्य एवं सिंचित क्षेत्र का विकास कराते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र की कार्य योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5.3 अधीक्षण यंत्री

अधीक्षण यंत्री अपने क्षेत्र के अधीन लेखा, कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अधीक्षण यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये नियंत्रण अधिकारी हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियाकलापों में गतिशीलता प्रदान करना भी उनका दायित्व है।

1.5.4 कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख हैं। वे अधीक्षण यंत्री के नियंत्रण में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यपालन यंत्री के कार्यों में सिंचाई परियोजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं सिंचाई के साथ अन्य समस्त अभियांत्रिकीय कार्य हैं। कार्यों पर नियंत्रण रखकर क्रियान्वयन कराना कार्यपालन यंत्री का दायित्व है। जल संसाधन संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री उसके जिले में जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि का काम करता है।

1.5.5 सहायक यंत्री

कार्यपालन यंत्री के अधीन सहायक यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण तथा सिंचाई कराने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। सहायक यंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से मापदण्ड, ड्राइंग एवं नियमों के अंतर्गत कार्यों का सम्पादन कराने के लिये उत्तरदायी हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुए सहायक यंत्री को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करना है एवं सिंचाई राजस्व वसूली के लिये उन्हें अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

1.5.6 उपयंत्री

उपयंत्री कार्य स्थल पर कार्यों के प्रभारी हैं जो कार्यस्थल पर निर्माण कार्यों के निष्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित करते हैं। जल कर वसूली के लिए उन्हें नहर अधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं। उपयंत्री जल उपभोक्ता संथा के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी हैं।

∞∞∞∞∞∞∞∞

पारसडोह बांध परियोजना ज़िला बैतूल

आंवलिया बांध परियोजना जिला खंडवा

अध्याय – दो

विभागीय बजट

2.1 बजट पूर्वावलोकन :

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 में राशि रु. 8715.33 करोड़ निवेश कर निर्मित सैंच्य क्षेत्र में 5.07 लाख हेक्टर क्षेत्र की वृद्धि कर कुल 24.53 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्श (2012–2017) में राशि रु. 21827.55 करोड़ निवेश कर 5.41 लाख हेक्टर की वृद्धि कर कुल 29.94 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया। वर्तमान में अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक कुल राशि रू. 18566.49 करोड़ निवेश कर 3.51 लाख हेक्टेयर क्षमता में वृद्धि की जाकर कुल सैंच्य क्षेत्र लगभग 33.45 लाख हेक्टेयर विकसित किया जा चुका है ।

2.2 बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय

वर्ष 2014–15 से 2019–20 (दिसंबर 2019 तक) बजट प्रावधान एवं व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है :–

(रुपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	योजना मद		गैर योजना मद		कुल योग	
	प्रावधान	निवेश	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2014–2015	3609.66	3540.88	589.04	587.74	4198.70	4128.62
2015–2016	5295.74	5228.00	581.63	580.85	5877.37	5808.85
2016–2017	6759.54	6745.66	656.51	620.91	7416.15	7366.57
	पूंजीगत अनुभाग		राजस्व		कुल योग	
2017–2018	6128.78	6078.65	673.64	621.37	6802.42	6700.02
2018–2019	5938.14	5919.94	776.04	689.13	6714.18	6609.07
2019–2020 (दिसंबर 2019 तक)	7153.00	4390.14	1225.00	867.26	8378.00	5257.40

2.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से जारी समस्त प्रशासनिक, तकनीकी आदेश व निर्देश एवं विभागीय जानकारियाँ, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्ि ात किए जा रहे हैं।

2.3.1 ई–प्रोक्योरमेंट :–

विभाग में ई–निविदा प्रणाली 01.02.2009 से आरम्भ हुई। प्रारम्भ में यह व्यवस्था राशि रू. 1 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए थी, परन्तु वर्तमान में विभाग की समस्त निविदाएँ ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

निविदाओं के निराकरण में लगने वाले समय में कमी, पारदर्शिता एवं ठेकेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने वर्ष 2011 में केन्द्रीकृत निविदा प्रकोष्ठ का गठन किया था। रु. 20.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण से एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

वर्ष 2019–2020 में (दिसम्बर 2019 तक) रुपये 20 लाख से अधिक राशि की ई–निविदा के माध्यम से प्रकोष्ठ द्वारा आमंत्रित निविदाओं एवं कार्यों, उनकी लागत एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

निविदा किये गये कार्यों की संख्या	आमंत्रित की गई निविदाओं की कुल राशि (रु. लाख में)	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों की कुल राशि (रु.लाख में)
156	418780.63	152*	850580.84*

* वर्श 2018–19 में आमंत्रित निविदाएं जो वर्ष 2019–20 में स्वीकृत हुई उनकी स्वीकृति राशि एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या भी समाहित है।

2.3.2 विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन करने के लिए **'इन्टरप्राइज इन्फारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम–ई.आई.एम.एस'** तैयार किया गया है, जिसके उपयोग से मानिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रमुख मॉड्यूल जो अभी उपयोग किए जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं :–

- **'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम'**: विभाग के सभी वृहद एवं मध्यम

जलाशयों की प्रतिदिन एस.एम.एस. से जलस्तर एवं जल की मात्रा की जानकारी वर्षाकाल में संकलित की जाती है।

- **'ई–मेजरमेंट बुक':** रुपए 10 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों के अनुबंधों में ठेकेदार के बिल तैयार करने में इसका उपयोग किया जा रहा है।

- **'नॉन एग्रीकल्चर रेवेन्यू मानिटरिंग'** : औद्योगिक उपयोग के प्रदाय जल के बिल तैयार करने एवं इस मद की राजस्व प्राप्ति की जानकारी की मानिटरिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है।

- **'इरीगेशन मानिटरिंग मॉड्यूल'** : जलाशयों में जल के संग्रहण, सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण एवं उपलब्धि की समीक्षा वेबसाइट पर जानकारी दर्ज कर की जाती है। रबी सीजन में सिंचाई की जानकारी पाक्षिक रूप से माह की 5 एवं 20 तारीख तक वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है।

- **निविदा संबंधी आदेशः (Tender Related Orders)** इस खण्ड के अंतर्गत निविदा विज्ञप्ति, निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूचना, निविदा मूल्यांकन संबंधी बैठकों एवं निविदा संबंधी नियमों/आदेशों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है।

- **नवीन स्वीकृतियाँः (New Sanctions)** इस खण्ड के अंतर्गत नवीन स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेशों का प्रकाशन एवं विगत समय में जारी आदशों का संकलन प्रदर्शित किया जाता है।

- विभाग प्रमुख एवं शासन से जारी होने वाले समस्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

- सामान्य तौर पर उपयोगी विभागीय तकनीकी परिपत्र, दरसूची, विनिर्देश एवं अधिनियम भी संबंधित खण्डों के अंतर्गत प्रदर्शित हैं, इन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से एम.पी. मोबाइल एप को विभागीय वेबसाइट से जोड़कर निम्नानुसार नागरिक सेवाएं Mobile Governance के अंतर्गत दी जा रही है :–

  (अ) निविदाओं की सूचना (NIT)

  (ब) स्वीकृत/अस्वीकृत निविदाएं (Tender orders)

  (स) महत्वपूर्ण आदेश/पत्र (What is new)

(द) तकनीकी परिपत्र (Technical circulars)

(इ) विभागीय एकीकृत दर सूची (UCSR)

2.3.3 ई–ऑफिस :–

दिनांक 15–11–2018 से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल को शासन स्तर से ई–ऑफिस के माध्यम से जोड़ा गया, जिससे शासकीय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नस्तियों का संपादन ई–ऑफिस द्वारा किया जा रहा है ।

ई–ऑफिस के अंतर्गत नस्तियों का संपादन शीघ्रता के साथ पारदर्शिता से किया जा रहा है, जिससे कार्य के सुचारू रूप से संचालन में गति आयी है ।

उक्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपयोग से जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कागजी दस्तावेज संधारित करने की आवश्यकता घटकर लगभग 50 प्रतिशत हो गई है एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान द्रुतगति से होने लगा है। इससे विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

∞∞∞∞∞∞∞∞

अध्याय – तीन

राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनायें सिंचाई परियोजनाएं

3.1 विभाग के अधीन परियोजनाएं

प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 28 वृहद्, 45 मध्यम तथा 338 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से दिसंबर 2019 तक लगभग 33.45 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है । शासन की मंशानुरूप आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 45 लाख हेक्टर है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–11–09/2017/1/9 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई मिशन का गठन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया । सूक्ष्म (माइक्रो) सिंचाई योजनाओं के द्वारा उच्च स्तर पर स्थित क्षेत्रों में भी सिंचाई करना संभव है तथा सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता भी काफी कम आती है । जल के इष्टतम उपयोग होने से जल अधिकता से होने वाली हानि से भी फसलों का बचाव होता है तथा प्रति हेक्टर अच्छी गुणवत्ता वाला अधिक उत्पादन प्राप्त होता है । प्रदेश में वर्तमान में कुल 22 वृहद एवं 29 मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं । इनके पूर्ण होने पर क्रमशः 14,48,696 हेक्टर एवं 2,38,615 हेक्टर कुल 16,87,311 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी ।

3.1.1 वृहद सिंचाई परियोजनाएं :

प्रदेश में 19 वृहद् सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। 28 वृहद् सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

3.1.1.1 निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाएं :–

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	मोहनपुरा सिंचाई परियोजना	राजगढ़	3866.34	145661	572.96	100%	43%	07/2021	प्रेशराइज्ड
2	कुंडालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना	राजगढ़	3448.00	139399	552.80	100%	24%	09/2021	प्रेशराइज्ड
3	पार्वती वृहद् परियोजना	राजगढ़	1815.54	48000	162.00	15%	15%	07/2024	प्रेशराइज्ड
4	सुठालिया वृहद् परियोजना	राजगढ़	1375.24	49800	183.00	0%	15%	07/2024	प्रेशराइज्ड
5	सम्राट अशोक सागर फेस–II	विदिशा/ रायसेन	110.15	30324	252.13	100%	95%	06/2020	नहर
6	कोठा बैराज सिंचाई परियोजना	विदिशा	515.18	20000	63.51	0%	0%	03/2022	प्रेशराइज्ड
7	माही परियोजना	धार/ झाबुआ	834.24	33752	135.60	100%	98%	03/2020	नहर व प्रेशराइज्ड दोनों
8	गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	360.20	21400	79.00	आवश्यक नहीं	95%	03/2020	प्रेशराइज्ड (गांधीसागर परि. से)
9	शामगढ़–सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	1662.47	85117	175.00	आवश्यक नहीं	28%	08/2021	प्रेशराइज्ड (गांधीसागर परि. से)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
10	ताप्ती (चिल्लूर) परियोजना	बैतूल/ खंडवा	2627.95	81600	279.00	0%	0%	03/2022	प्रेशराइज्ड
11	बाणसागर परियोजना	रीवा/ सीधी / शहडोल/ सतना	3858.73	291620	5429.60	100%	Phase I – 98% Phase II 70%	03/2021 03/2021	नहर नहर
12	महान परियोजना	सीधी	486.96	21740	149.76	100%	96%	06/2020	नहर
13	रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	सतना	387.08	20000	–	आवश्यक नहीं	निर्माण कार्य प्रगति पर	03/2021	प्रेशराइज्ड (बाणसागर परि. से)
14	नईगढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	रीवा	856.04	50000	–	आवश्यक नहीं	10%	03/2021	प्रेशराइज्ड (बाणसागर परि.से)
15	गौड़ परियोजना	सिंगरौली	1097.67	33000	96.49	निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में		06/2022	प्रेशराइज्ड(रिहन्द परि. से)
16	चंबल सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना	श्योपुर	153.57	12000	–	आवश्यक नहीं	30%	10/2021	प्रेशराइज्ड (चंबल नहर प्रणाली से)
17	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण)	शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड	2033.92	162100	834.83	100%	97%	06/2020	नहर
18	बानसुजारा परियोजना	टीकमगढ़	1768.50	75000	276.09	96%	90%	07/2020	प्रेशराइज्ड
19	चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	389.77	28000	–	आवश्यक नहीं	40%	07/2021	प्रेशराइज्ड (राजघाट नहर से)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह / वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर / प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
20	लोअर ओर परियोजना	शिवपुरी	2208.03	119535	371.80	25%	51%	02 / 2021	प्रेशराइज्ड
21	मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना	दतिया	2244.97	78484	242.87	1%	1%	08 / 2024	प्रेशराइज्ड
22	पंचमनगर परियोजना कॉम्पलेक्स	दमोह	674.90	25000	78.88	100%	77%	06 / 2021	प्रेशराइज्ड
23	सीता नगर परियोजना	दमोह	518.09	16200	59.59	5%	0%	09 / 2021	प्रेशराइज्ड
24	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना	सागर / विदिशा	3255.31	90000	341.50	1%	0%	05 / 2021	प्रेशराइज्ड
25	बण्डा परियोजना	सागर	2610.54	80000	282.82	1%	1%	12 / 2022	प्रेशराइज्ड
26	हनौता परियोजना	सागर	1392.42	40000	146.84	1%	0%	02 / 2023	प्रेशराइज्ड
27	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	सिवनी / छिन्दवाड़ा	2544.57	85000	421.20	100%	85%	06 / 2020	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
28	छिंदवाड़ा सिंचाई काम्प्लेक्स परियोजना	छिंदवाड़ा	5470.95	190500	651.68	0%	0%	06 / 2026	प्रेशराइज्ड

3.1.1.2 चिन्हित वृहद सिंचाई परियोजनाएं :

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	रिहंद उद्वहन परियोजना	सिंगरौली	648.56	38000	—	प्रेशराइज्ड(रिहंद परि. से)
2	नावथा वृहद परियोजना	बुरहानपुर	659.25	16160	141.55	प्रेशराइज्ड
3	कुंभराज वृहद परियोजना	गुना	688.75	22500	80.30	प्रेशराइज्ड
4	आरोन वृहद परियोजना	अशोकनगर	420.00	12000	40.00	प्रेशराइज्ड
5	व्यारमा सिंचाई परियोजना	दमोह	13786.00	370000	1312.00	प्रेशराइज्ड
6	लोअर बुधना परियोजना	शिवपुरी	251.00	18000	60.00	प्रेशराइज्ड
7	मल्हारगढ़ सूक्ष्म परियोजना	मंदसौर	958.42	40000	73.53	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
8	कयामपुर सूक्ष्म परियोजना	मंदसौर	1064.00	23000	73.53	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
9	महानदी परियोजना	कटनी	2470.09	85500	310.80	प्रेशराइज्ड
10	रामपुरा मनासा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	855.55	40000	145.00	प्रेशराइज्ड
11	शिवना नदी परियोजना	मंदसौर	300.00	18000	60.00	प्रेशराइज्ड

3.1.1.3 वृहद् परियोजनाओं का ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernisation)

(राशि रु.करोड़ में,सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति (%)	पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)
1	तवा परियोजना की नहर प्रणालियों का ई.आर.एम. तृतीय एवं चतुर्थ चरण	400.00	29/04/2016	80%	11/2021
2	बारना परियोजना की समस्त नहर प्रणालियों का ई.आर.एम. एवं बारना विस्तारीकरण	581.00	15/02/2013	67%	07/2020

3.1.2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं :

प्रदेश में 97 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। 45 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :

3.1.2.1 निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं :–

(राशि रु.करोड़ में,सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बरखेड़ा परियोजना	धार	308.56	15000	52.44	20%	0%	05/2020	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
2	कारम परियोजना	धार	304.44	11000	40.53	15%	0%	06/2021	प्रेशराइज्ड
3	भाम (राजगढ़) परियोजना	खंडवा	228.11	6100	25.09	20%	0%	12/2020	प्रेशराइज्ड
4	आंवलिया परियोजना	खंडवा	165.08	5000	20.15	70%	0%	12/2020	प्रेशराइज्ड
5	भावसा सिंचाई परियोजना	बुरहानपुर	104.45	3750	13.63	0%	0%	6/2021	प्रेशराइज्ड
6	इंदौख बैराज	उज्जैन	220.78	6100	28.27	77%	0%	10/2019	प्रेशराइज्ड
7	बहरी विस्तार परियोजना (महान द्वितीय चरण	सीधी	204.01	7500	–	आवश्यक नहीं	74%	06/2020	नहर (महान परि. से)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह / वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर / प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	हिरवार सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना	शहडोल	116.78	7000	—	आवश्यक नहीं	75%	09/2021	प्रेशराइज्ड (बाणसागर परि. से)
9	झिन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	सतना	36.17	2600	—	आवश्यक नहीं	1%	09/2021	प्रेशराइज्ड (बाणसागर परि. से)
10	खरसानिया परियोजना	सीहोर	46.12	4915	—	आवश्यक नहीं	60%	03/2020	नहर (कोलार परि. से)
11	कान्याखेड़ी परियोजना	सीहोर	102.71	2400	11.68	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		—	प्रेशराइज्ड
12	बनेठा उ.सि. परियोजना	सीहोर	51.56	4080	—	100%	98%	06/2020	नहर (नर्मदा नदी से)
13	सीप कोलार लिंक परियोजना	सीहोर	137.21	6100	—	97%	95%	03/2020	डायवर्सन योजना (कोलार परियोजना हेतु)
14	दीवानगंज नहर परियोजना	रायसेन	81.34	7000	—	आवश्यक नहीं	90%	06/2020	नहर (स.अ. सा. परि. से)
15	टेम मध्यम परियोजना	विदिशा	383.15	9990	48.975	0%	0%	03/2022	प्रेशराइज्ड
16	सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	226.62	6500	24.09	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		—	नहर
17	आसन बैराज परियोजना	मुरैना	112.83	5500	30.63	98%	आवश्यक नहीं	03/2020	बैराज (कोतवाल एवं पिलौआ बांध की पूर्ति हेतु)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	खर्राघाट मध्यम परियोजना	दतिया	33.07	3500	.–	आवश्यक नहीं	95%	03/2020	नहर (राजघाट परि. से)
19	परकुल परियोजना	सागर	114.96	3200	20.37	45%	65%	03/2021	नहर
20	सूरजपुरा परियोजना	सागर	70.61	4325	24.74	100%	85%	03/2020	नहर
21	सोनपुर परियोजना	सागर	127.46	7000	39.24	100%	70%	06/2020	नहर
22	आपचंद परियोजना	सागर	162.66	4830	18.23	0%	0%	06/2024	प्रेशराइज्ड
23	कड़ान परियोजना	सागर	385.79	12000	40.05	5%	2%	07/2022	प्रेशराइज्ड
24	कैथ परियोजना	सागर	162.47	5135	21.12	0%	73%	07/2022	प्रेशराइज्ड
25	पवई परियोजना	पन्ना	600.81	25820	122.25	100%	88%	12/2023	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
26	रूञ्ज परियोजना	पन्ना	269.79	14450	64.70	10%	0%	01/2022	प्रेशराइज्ड
27	मझगांय परियोजना	पन्ना	358.99	13035	105.23	48%	0%	01/2022	प्रेशराइज्ड
28	जूडी परियोजना	दमोह/छतरपुर	240.24	8500	28.33	निविदा आमंत्रित		03/2020	प्रेशराइज्ड

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह / वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर / प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	सतधारू परियोजना	दमोह	315.65	7555	63.03	10%	0%	06 / 2020	प्रेशराइज्ड
30	साजली परियोजना	दमोह	366.00	9950	38.23	70%	75%	02 / 2022	प्रेशराइज्ड
31	पारसडोह परियोजना	बैतूल	382.29	19785	69.82	100%	35%	06 / 2020	प्रेशराइज्ड
32	वर्धा परियोजना	बैतूल	155.26	5700	23.30	40%	0%	12 / 2021	प्रेशराइज्ड
33	निरगुड़ परियोजना	बैतूल	99.87	3500	13.97	0%	0%	07 / 2023	प्रेशराइज्ड
34	गढ़ा परियोजना	बैतूल	307.52	8500	31.88	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		—	प्रेशराइज्ड
35	घोघरी परियोजना	बैतूल	318.66	9990	37.88	5%	5%	12 / 2021	प्रेशराइज्ड
36	मेढ़ा परियोजना	बैतूल	268.71	5800	34.11	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर		—	प्रेशराइज्ड
37	बिलगाँव जलाशय परियोजना	डिण्डौरी	269.90	10250	53.69	100%	98%	03 / 2020	नहर
38	मुड़की जलाशय परियोजना	डिण्डौरी	156.75	7000	27.67	55%	100%	06 / 2021	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बांध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	डिण्डौरी जलाशय परियोजना	डिण्डौरी	384.08	11795	79.23	0%	0%	06/2022	प्रेशराइज्ड
40	करंजिया नहर परियोजना	डिण्डौरी	132.00	9100	–	आवश्यक नहीं	0%	06/2022	प्रेशराइज्ड (डिण्डौरी परि. से)
41	खरमेर जलाशय परियोजना	डिण्डौरी	348.10	12000	46.79	0%	0%	06/2022	प्रेशराइज्ड
42	अपर तिलवारा नहर प्रणाली	सिवनी	120.02	7950	–	आवश्यक नहीं	75%	12/2020	नहर (सं. सरो. परि. से)
43	छीताखुदरी जलाशय परियोजना	जबलपुर	310.01	12125	69.74	25%	0%	06/2022	प्रेशराइज्ड
44	बघराजी नहर प्रणाली	जबलपुर	33.42	2800	.	आवश्यक नहीं	0%	06/2022	प्रेशराइज्ड (हिरन परि. से)
45	हिरन जलाशय परियोजना	जबलपुर	225.99	8125	34.06	10%	0%	06/2022	प्रेशराइज्ड

3.1.2.2 प्रस्तावित मध्यम सिंचाई परियोजनाएं:–

(राशि रु.करोड़ में,सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना	सागर	170.88	5400	24.04	प्रेशराइज्ड

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
2	करन नदी परियोजना	रतलाम	219.34	6600	34.82	प्रेशराइज्ड
3	हरवाखेड़ी (बनी) परियोजना	उज्जैन	106.75	3200	10.76	प्रेशराइज्ड
4	ऐर (सनघटा) मध्यम सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	145.45	4630	21.87	नहर
5	चेंटीखेड़ा बांध परियोजना	श्योपुर	400.28	9200	87.00	प्रेशराइज्ड

3.1.2..3 चिन्हित मध्यम सिंचाई परियोजनाएं :

(राशि रु.करोड़ में,सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमा. नित सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	खिरई मध्यम सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	210.00	6000	30.00	नहर एवं प्रेशराइज्ड
2	विलाव उद्वहन सिंचाई परियोजना	भिण्ड	400.00	15000	44.00	नहर
3	भेंसाई नदी परियोजना (कन्हान सब बेसिन)	छिंदवाड़ा	174.96	5000	30.00	नहर
4	बाराल मरी जमुनिया (शक्कर नदी) जलाशय परियोजना	छिंदवाड़ा	129.54	3000	14.52	नहर
5	लामता सूक्ष्म परियोजना	बालाघाट	—	10000	120.00	प्रेशराइज्ड
6	सालहेटोला परियोजना	बालाघाट	.—	9500	175.00	प्रेशराइज्ड

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमा. नित सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
7	काडला जलाशय परियोजना	बालाघाट	110.34	3000	20.00	नहर
8	पट्टी नाला जलाशय परियोजना	बालाघाट	88.10	2500	30.00	नहर
9	डोकरिया परियोजना	बालाघाट	67.84	2925	10.78	नहर
10	मसान टोंग पिकअप वियर	सिवनी	100.83	6584	38.73	प्रेशराइज्ड
11	बिजना डायवर्सन पिकअप वियर परियोजना	सिवनी	36.45	4490	4.48	नहर
12	खैरीमाता बुढ़ैना परियोजना	नरसिंहपुर	58.30	2500	22.70	नहर
13	साकुल जलाशय परियोजना	जबलपुर	199.49	5700	25.50	प्रेशराइज्ड
14	कबुलपुर कमरदीपुर परियोजना	शाजापुर	142.98	4090	13.64	प्रेशराइज्ड
15	करनालिया परियोजना	शाजापुर	267.55	6121	18.55	प्रेशराइज्ड
16	आहू उमरपुरा परियोजना	शाजापुर	132.22	2800	8.47	प्रेशराइज्ड
17	किशनपुरा परियोजना	देवास	275.39	8595	45.06	प्रेशराइज्ड
18	कासरनी परियोजना	देवास	181.64	9800	22.68	प्रेशराइज्ड
19	आहु मध्यम परियोजना	आगर	183.89	5260	15.95	प्रेशराइज्ड
20	पांगरी परियोजना	बुरहानपुर	115.70	3640	20.43	प्रेशराइज्ड
21	झिरमिटी बैराज परियोजना	बुरहानपुर	249.15	9900	31.06	प्रेशराइज्ड
22	छोटी उतावली परियोजना	बुरहानपुर	147.24	2500	15.28	प्रेशराइज्ड
23	तलावड़ा बैराज परियोजना	झाबुआ	117.64	3000	38.63	प्रेशराइज्ड

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमा. नित सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
24	बिरलई परियोजना	धार	114.66	3800	15.33	प्रेशराइज्ड
25	कुण्डिया तालाब परियोजना	खरगोन	361.41	9950	47.55	प्रेशराइज्ड
26	बेनी तालाब परियोजना	बड़वानी	142.68	5500	21.33	प्रेशराइज्ड
27	श्यामपुर परियोजना	सीहोर	476.16	9000	30.00	प्रेशराइज्ड
28	तजपुरा (अजनाल) डायवर्सन परियोजना	सीहोर	2859.94	8500	—	नहर
29	घाटाखेडी मध्यम सिचाई परियोजना	राजगढ़	378.45	9500	33.00	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
30	घाटखेडी तालाब परियोजना	रायसेन	88.70	2700	9.20	नहर रहित
31	निवारी तालाब परियोजना	गुना	214.19	6155	23.02	नहर
32	सिरसी तालाब परियोजना	गुना	89.83	2574	9.58	नहर
33	दिशाखेड़ी अन्तर्राज्यीय मध्यम परियोजना	गुना	150.00	5000	20.70	प्रेशराइज्ड
34	सीतामढ़ी परियोजना	अनूपपुर	343.00	9800	77.83	नहर
35	गोड़ारू माइक्रो सिंचाई परियोजना	शहडोल	93.70	6000	—	प्रेशराइज्ड (बाणसागर से)
36	बुढ़ार माइक्रो सिंचाई परियोजना	शहडोल	136.20	9600	—	प्रेशराइज्ड (बाणसागर से)
37	काठन बांध परियोजना	छतरपुर	385.62	15000	64.10	प्रेशराइज्ड
38	मिड़वासा परियोजना	सागर	343.00	9800	54.00	प्रेशराइज्ड
39	झाडवीडा उद्वहन सिंचाई परियोजना	होशंगाबाद	157.85	15150	—	नहर

3.1.3 लघु सिंचाई योजनाएं :–

प्रदेश में दिसंबर 2019 तक 5344 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। 338 लघुसिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :

3.1.3.1 निमार्णाधीन लघु सिंचाई परियोजनाएं :–

(राशि रू. लाख में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर मे)

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में	स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
1	मुरैना	6	2730	4116.31	28	गुना	5	1157	2048.05
2	शिवपुरी	2	1096	2982.90	29	अशोकनगर	1	300	300.25
3	श्योपुर	2	630	576.54	30	छिंदवाड़ा	41	13711	33706.97
4	दतिया	4	1133	804.94	31	डिंडोरी	5	2758	7365.46
5	ग्वालियर	1	52	3244.00	32	जबलपुर	4	3463	8697.97
6	भिण्ड	6	2261	3240.21	33	मंडला	6	3435	11995.26
7	सागर	31	17268	43850.98	34	सिवनी	24	12139	34204.72
8	दमोह	0	0	0	35	कटनी	4	1184	2923
9	पन्ना	11	11667	32057.75	36	नरसिंहपुर	0	0	0
10	छतरपुर	4	2090	5929.55	37	बालाघाट	8	3435	10236.81
11	टीकमगढ़	1	570	1973.89	38	अलीराजपुर	4	1355	2453.06
12	निवाड़ी	0	0	0	39	आगर	5	1757	4665.76
13	अनूपपुर	7	5525	12773.66	40	बड़वानी	10	5990	17023.19
14	रीवा	2	2083	3688.13	41	बुरहानपुर	12	4005	7683.64
15	सिंगरौली	1	315	1202.46	42	देवास	0	0	0
16	सतना	3	3965	7924.89	43	धार	9	3410	8125.76
17	शहडोल	15	8238	26523.17	44	इन्दौर	4	1260	2712.75
18	सीधी	1	410	1433.00	45	झाबुआ	1	573	993.69
19	उमरिया	12	7451	19822.70	46	खंडवा	2	1100	3024.00
20	बैतूल	10	3372	8711.74	47	खरगोन	5	4685	13076.56
21	हरदा	0	0	0	48	मंदसौर	2	670	1930
22	होशंगाबाद	0	0	0	49	नीमच	1	430	1501.24
23	राजगढ़	18	3320	8638.82	50	रतलाम	2	636	4416.24
24	रायसेन	1	120	207.98	51	शाजापुर	20	8774	12960.93
25	भोपाल	0	0	0	52	उज्जैन	6	1325	2010.90
26	विदिशा	7	7057	8414.68					
27	सीहोर	12	6587	15087.75		कुल :–	**338**	**165492**	**407262.26**

3.1.3.2 प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाएं :–

(राशि रू. लाख में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर मे)

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में	स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
1	श्योपुर	0	0	0	27	सिवनी	1	995	2153
2	मुरैना	1	355	467	28	नरसिंहपुर	2	365	549
3	भिण्ड	2	360	403	29	छिंदवाड़ा	2	166	444
4	ग्वालियर	0	0	0	30	बैतूल	2	719	1433
5	दतिया	0	0	0	31	हरदा	0	0	0
6	शिवपुरी	0	0	0	32	होशंगाबाद	0	0	0
7	गुना	1	69	197	33	रायसेन	0	0	0
8	अशोक नगर	0	0	0	34	विदिशा	0	0	0
9	सागर	0	0	0	35	भोपाल	0	0	0
10	टीकमगढ़	0	0	0	36	सीहोर	0	0	0
11	निवाड़ी	0	0	0	37	राजगढ़	0	0	0
12	छतरपुर	1	135	367	38	शाजापुर	2	2738	10063
13	दमोह	0	0	0	39	आगर	2	525	1729
14	पन्ना	0	0	0	40	देवास	0	0	0
15	सतना	0	0	0	41	खण्डवा	0	0	0
16	रीवा	0	0	0	42	बुरहानुपर	0	0	0
17	सीधी	0	0	0	43	खरगोन	0	0	0
18	सिंगरोली	0	0	0	44	बड़वानी	0	0	0
19	शहडोल	0	0	0	45	अलीराजपुर	3	765	1237
20	अनूपपुर	0	0	0	46	झाबुआ	4	936	1475
21	उमरिया	0	0	0	47	धार	5	1600	2135
22	कटनी	0	0	0	48	इन्दौर	0	0	0
23	जबलपुर	0	0	0	49	उज्जैन	0	0	0
24	डिण्डोरी	0	0	0	50	रतलाम	0	0	0
25	मण्डला	1	836	2412	51	मंदसौर	2	1010	2719
26	बालाघाट	0	0	0	52	नीमच	0	0	0
						कुल	**31**	**11,574**	**27,783**

3.1.3.3 सर्वेक्षणाधीन लघु सिंचाई परियोजनाएं :—

(राशि रू. लाख में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर मे)

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में	स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में
1	श्योपुर	3	1930	3370	27	सिवनी	8	5890	18110
2	मुरैना	5	3125	8454	28	नरसिंहपुर	7	3110	7056
3	भिण्ड	1	350	500	29	छिंदवाड़ा	61	27263	85976
4	ग्वालियर	0	0	0	30	बैतूल	46	15800	43428
5	दतिया	1	490	565	31	हरदा	0	0	0
6	शिवपुरी	7	3739	11958	32	होशंगाबाद	0	0	0
7	गुना	16	4190	9817	33	रायसेन	15	5990	12189
8	अशोक नगर	5	1220	1751	34	विदिशा	13	3022	5860
9	सागर	26	11518	32192	35	भोपाल	1	382	950
10	टीकमगढ़	3	2485	8270	36	सीहोर	4	775	1299
11	निवाड़ी	0	0	0	37	राजगढ़	12	2900	7400
12	छतरपुर	6	1280	3036	38	शाजापुर	12	3295	6957
13	दमोह	11	6090	12369	39	आगर	8	2960	4694
14	पन्ना	5	1000	1524	40	देवास	10	2700	5740
15	सतना	4	3054	10406	41	खण्डवा	2	770	1710
16	रीवा	1	660	1621	42	बुरहानुपर	11	8850	20478
17	सीधी	1	1440	3348	43	खरगोन	8	5244	16254
18	सिंगरोली	3	3640	11452	44	बड़वानी	6	2025	5411
19	शहडोल	15	4248	13468	45	अलीराजपुर	22	7315	17608
20	अनूपपुर	9	3915	9680	46	झाबुआ	10	2215	4095
21	उमरिया	4	2916	9206	47	धार	23	9087	23271
22	कटनी	7	2422	7919	48	इन्दौर	1	375	632
23	जबलपुर	3	530	1091	49	उज्जैन	14	4520	8635
24	डिण्डौरी	7	3150	9713	50	रतलाम	7	3225	8278
25	मण्डला	4	2230	3639	51	मंदसौर	7	1478	3855
26	बालाघाट	2	1655	5126	52	नीमच	8	4015	12091
						कुल	**465**	**190,483**	**502,452**

3.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :—

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' लागू की गई है। ए.आई.बी.पी. एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंश बना दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक निम्नानुसार हैं :—

1. ए.आई.बी.पी (त्वरित सिंचाई लाभ योजना)।
2. हर खेत को पानी।
3. पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
4. जलग्रहण क्षेत्र विकास।

3.2.1 ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभ योजना) :—

ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभयोजना) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को निश्चित अवधि में पूरा करने तथा ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जिनका वित्त पोषण राज्यों की वित्तीय क्षमता के लिये कठिन हो, को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आदिवासी एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं हेतु 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2016 से इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग की दस परियोजनाओं का चयन कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत केन्द्रीय सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। इन चयनित दस परियोजनाओं में से तीन वृहद परियोजनाएं क्रमशः (1) बाणसागर द्वितीय चरण (2) बरियारपुर बांयी तट नहर परियोजना (3) सिंध परियोजना द्वितीय चरण एवं चार मध्यम सिंचाई परियोजना क्रमशः (1) सगड़ (2) संजय सागर (3) सिंहपुर बैराज एवं (4) महुअर (ए.आई.बी.पी.मद का कार्य) पूर्ण कर ली गई है। शेष तीन वृहद परियोजनाएं क्रमशः माही, पेंच एवं महान परियोजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। इन सभी दस परियोजनाओं के पूर्ण होने पर कुल 5,01,100 हेक्टर सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली जावेगी।

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006—07 से वर्ष 2018—19 तक ए.आई.बी.पी. अंतर्गत 564 में से शेष लघु सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। इनमें से 554 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इन 564 योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत राशि रु. 2911.41 करोड़ है जिसके

विरुद्ध 1889.95 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। उक्त परियोजनाओं से कुल रूपांकित सिंचाई क्षमता 1,34,127 हेक्टर निर्मित किया जाना लक्षित है। 564 में से शेष 10 में 9 परियोजनाएं निरस्त/निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है एवं एक परियोजना निर्माण के अंतिम चरण में है।

3.2.2 पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण (आर.आर.आर.) :–

विगत 7 वर्षों से विभाग के अंतर्गत पूर्व निर्मित जीर्ण–शीर्ण एवं सिंचाई क्षमता खो चुकी लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कर सुधार का कार्य किया जा रहा है । यह कार्यक्रम हर खेत को पानी योजना का घटक है । इसके अंतर्गत वर्ष 2011 से दिसंबर 2019 तक कुल 350 परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई हैं, इनमे से 326 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। शेष 24 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज अंतर्गत 78 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इनका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3.2.3 कमाण्ड क्षेत्र विकास :–

राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैंच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वर्तमान में संचालनालय के अंतर्गत 23 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कुल कमाण्ड क्षेत्र 10,37,765 हेक्टर के विरुद्ध दिनांक 31.03.19 तक कुल 6,92,845 हेक्टर में फील्ड चैनल का निर्माण कार्य संपादित कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्धारित लक्ष्य रु. 96.95 करोड़ के विरुद्ध माह दिसंबर 2019 तक रु. 49.38 करोड व्ययकर लक्षित क्षेत्र 27,997 हेक्टर के विरुद्ध 16,814 हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल का निर्माण कार्य संपादित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में क्षेत्र हे.में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	31. 03.19 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2019–20 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2019 तक	वर्ष 2019–20 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
1	सिंध वृहद परियोजना (फेस–II)	98250	39408.83	74434	6095	1299	0.00	पी.एम.के. एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत
2	बाण सागर परियोजना	154687	59146.30	103141	8190	4431	0.00	–तदैव–
3	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	70918	26568.03	14412	4381	4451	0.00	–तदैव–
4	महान वृहद परियोजना	16150	6056.33	9099	1333	1357	0.00	–तदैव–
5	सिंहपुर परियोजना	6000	2255.00	5282	118	0	0.00	–तदैव–
6	महुअर मध्यम परियोजना	9500	3567.20	8550	0	0	0.00	–तदैव–
7	सगड़ मध्यम परियोजना	9478	3551.22	8434	96	232	0.00	–तदैव–
8	माही वृहद परियोजना	28127	12873.30	11783	5295	2834	0.00	–तदैव–
9	संजय सागर (बाह) परियोजना	9893	3705.64	7084	775	0	0.00	–तदैव–
10	बरियारपुर वृहद परियोजना	38990	8541.60	28961	1714	1377	0.00	–तदैव–
11	कोलार वृहद परियोजना	45087	8400.00	25895	0	0	0.00	इनसेन्टिवाईजेशन स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये गए, स्वीकृति अप्राप्त
12	रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना	157000	31162.40	63394	0	733	0.00	–तदैव–

स. क्र.	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	31. 03.19 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2019—20 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2019 तक	वर्ष 2019—20 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
13	राजघाट नहर परियोजना	164789	38936.28	119796	0	0	0.00	—तदैव—
14	हरसी परियोजना	62675	15894.77	56138	0	0	0.00	—तदैव—
15	बिलगांव मध्यम परियोजना	9262	3470.34	5609	0	0	0.00	—तदैव—
16	गुरमा मध्यम परियोजना	4740	1684.70	2058	0	0	0.00	—तदैव—
17	वैनगंगा परियोजना	112900	16729.34	112900	0	0	0.00	—
18	कुवंर चैनसागर परियोजना	3700	614.07	3448	0	0	0.00	—
19	बाघ परियोजना	16600	2889.15	16600	0	0	0.00	—
20	रेहटी मध्यम परियोजना	2194	825.68	919	0	0	0.00	—
21	बघरुं मध्यम परियोजना	2250	846.51	2050	0	0	0.00	—
22	कछाल मध्यम परियोजना	3470	1304.87	3470	0	0	0.00	—
23	थांवर परियोजना	11105	4759.66	9388	0	0	0.00	—
	कुल :—	**1037765**	**293191.22**	**692845**	**27997**	**16814**	**0.00**	

3.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना :—

जल विज्ञान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय, सुलभ, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सतत एवं प्रवाह जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र विकसित करना है। जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र के विकास में भौतिक संरचना और मानव संसाधनों के द्वारा जल संसाधन के आंकड़ों को एकत्रित करना, संग्रहित करना तथा उनका विश्लेषण कर जानकारी का यथोचित उपयोग एवं प्रसार करना सम्मिलित है।

भारत सरकार द्वारा जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए कुल लागत रु. 3679.77 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य हेतु 90.00 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2016–24 तक आठ वर्षों की अवधि का होगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में मध्यप्रदेश के गंगा कछार (टोन्स, सोन, बेतवा, सिंध, केन धसान, एवं चंबल उप कछार) तथा नर्मदा कछार का आंशिक जल ग्रहण क्षेत्र तथा माही एवं ताप्ती कछारों के कार्यों को शामिल किया गया है। घटकों के अंतर्गत स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

Component	Description of Project Component	Grant Share in Rs. Crores		
		World Bank	MOWR GoI	Total
A	Water Resources Data Acquisition System (जल संसाधन डाटा अधिग्रहण प्रणाली)	32.35	32.35	64.70
B	Water Resources Information System (WRIS) (जल संसाधन सूचना प्रणाली)	2.5	2.5	5.00
C	Water Resources Operation and Planning System (जल संसाधन संचालन एवं योजना प्रणाली)	3.65	3.65	7.30
D	Institutions Capacity Enhancement (संस्थागत क्षमता संवर्धन/विकास)	6.5	6.5	13.0
	TOTAL	**45.00**	**45.00**	**90.00**

परियोजना के अंतर्गत उपकछारों में जल बहाव, वर्षा, भू–जल आदि के वास्तविक समय के आंकड़ों का एकत्रीकरण (RTDAS) कार्य आधुनिक तकनीक से किए जाएंगे, जिसका उपयोग प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के रूपांकन के युक्तियुक्तकरण करने में सहायक होगा। उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग भविष्य में जल विज्ञान अनुसंधान हेतु विभाग के साथ–साथ अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकेगा। इन कार्यों के सम्पादन हेतु सर्वप्रथम विभागीय मद से प्रदेश के विभिन्न कछारों में जल मौसम विज्ञान स्थलों की नेटवर्क की स्थापना वर्ष 1981 में शुरू की गई थी । इसके पश्चात् विश्व बैंक की सहायता से जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत 1995 से 2003 तक माही, ताप्ती एवं वैनगंगा कछारों में स्थापित जल मौसम विज्ञान केन्द्रों का उन्नयन एवं कुछ नये कार्यस्थल स्थापित किये गये। जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत वैनगंगा, ताप्ती एवं माही कछार में डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर जल प्रवाह स्थलों पर स्थापित किये गये हैं। जल मौसम के हर घंटे के आँकड़े एकत्र करने के लिये रियल टाइम डाटा एक्विजीशन सिस्टम RTDAS वैनगंगा कछार में स्थापित किया गया । इस प्रणाली के अंतर्गत 29 वर्षामापी, 3 पूर्ण मौसम केन्द्र एवं 14 वाटर लेवल रिकार्डर स्थापित किये गये हैं। RTDAS का सम्पूर्ण डाटा भोपाल स्थित डाटा सेंटर में प्राप्त हो रहा है ।

3.4 नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त परियोजनाए :–

नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	योजना का नाम	जिला	चरण	लागत (रू. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टर में)	नाबार्ड स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	कुल व्यय (रू. लाख 12/2019 तक)	टीप
1	सोनपुर मध्यम परियोजना	सागर	XVIII	12746.45	7000	11309.00	10606.21	कार्य प्रगति पर
2	बारना वृहद परियोजना (ई.आर.एम.)	रायसेन	XIX	58100.00	88000	41504.00	36285.70	कार्य प्रगति पर
3	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांध)	राजगढ़	XXI	386634.00	145661	44151.73	43468.14	कार्य प्रगति पर
3 (i)	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांयी तट नहर)	राजगढ़	XXII			43147.66	41776.63	कार्य प्रगति पर
3(ii)	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांयी तट वितरक नहर)	राजगढ़	XXIII			90793.29	18391.22	कार्य प्रगति पर
4	पंचम नगर परियोजना काम्पलेक्स	दमोह	XXIII	67489.92	25000	30540.71	24294.30	कार्य प्रगति पर
	योग :–			**524970.37**	**265661**	**261446.39**	**145824.8**	

3.5 डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP):–

राज्य में सिंचाई, जल प्रदाय, विद्युत उत्पादन तथा अन्य लाभों के लिए जल संसाधनों के भंडारण हेतु बांधों का निर्माण किया गया है। ICOLD (International Commission of Large Dams) के मापदंड अनुसार म.प्र. में 906 बांध, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। इन बांधों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कार्य क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन सामयिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाता है। केन्द्रीय जल आयोग ने विश्वबैंक के सहयोग से देश के कुल 223 बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप) परियोजना प्रारंभ की गई।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2014 को 29 बांधों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. 173.99 करोड़ स्वीकृति की गई। परियोजना में फंडिंग पेटर्न 80:20 (विश्व बैंक : राज्य) रखा गया है। दिनांक 21.12.2011 को विश्व बैंक के साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुबंध किया जाकर दिनांक 18.04.2012 से परियोजना प्रभावशील हो गई है। परियोजना का कार्यकाल जून 2020 तक है । प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत बांधों में निर्धारित क्षमता तक भराव होने से सिंचाई हेतु जल उपलब्धता में वृद्धि होगी एवं बांधों की सुरक्षा दीर्घावधि के लिए सुनिश्चित होगी । परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

(अ) राज्य बांध सुरक्षा संगठन के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

(ब) बांध सुरक्षा की आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(स) बांधों के उन्नयनीकरण एवं सुधारात्मक कार्य करवाना।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 22–10/2013/पी–1/इकतीस (01) दिनांक 29.07.2013 द्वारा बोधी के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति प्रदाय की गई है।

ड्रिप में 25 बांधों का चयन अंतिम रूप से किया गया है। वर्तमान स्थिति में 22 बांधों में सुधार कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 03 बांधों के सुधार कार्य प्रगति पर हैं। नवम्बर 2019 तक कुल रु.140.80 करोड़ व्यय किये गये हैं ।

3.5.1 डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट–II (DRIP-II) :–

डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट–II (ड्रिप – II) के अंतर्गत Dam Safety Review Panel (DSRP) का गठन किया जाकर धसान केन कछार, सागर के अंतर्गत चंदिया तालाब परियोजना, मानसरोवरी तालाब परियोजना, राजघाट परियोजना, नर्मदा ताप्ती कछार अंतर्गत गांधी सागर, रेतमबैराज, काका साहेब गाडगिल, चौरल, देपालपुर एवं सुक्ता बांधों का निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण किये गये 9 बांधों में हेतु दिये गये सुझावों अनुसार प्राक्कलन व विश्व बैंक को भेजने हेतु प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट (PST) तैयार किये जा रहे हैं। ड्रिप – II प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन अप्रैल 2020 से किया जाना प्रस्तावित है।

ड्रिप – II के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित 26 बांधों के लिए रु. 103.264 करोड़ के प्रस्ताव दिनांक 23.09.2017 को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को विश्व बैंक सहायतार्थ परियोजना अंतर्गत भेजे गये हैं, विवरण निम्नानुसार है :–

स.क.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ में)
1	भगवंत सागर (सुक्ता) परियोजना	17.743
2	वीरपुर तालाब परियोजना	7.410
3	चंदिया तालाब परियोजना	1.109
4	चंदोरा परियोजना	2.680
5	चोरल परियोजना	3.500
6	देपालपुर तालाब परियोजना	2.720
7	डोकरी खेड़ा परियोजना	5.110
8	गांधीसागर परियोजना	14.563
9	हथाईखेड़ा परियोजना	0.868
10	काचन तालाब परियोजना	5.140
11	काका साहेब गाडगिल सागर परि.	1.510
12	कलियासोत परियोजना	1.521
13	केरवा बांध परियोजना	1.127
14	कुडा तालाब परियोजना	1.332
15	माही परियोजना	9.041
16	मनसूरवारी तालाब परियोजना	2.074
17	मटियारी परियोजना	0.917
18	नंदनवारा तालाब परियोजना	0.448
19	पीपलिया कुमार तालाब परियोजना	1.476
20	राजघाट परियोजना	3.165
21	रेतम बैराज	7.600
22	रूमल तालाब परियोजना	2.667
23	रूपनियाखाल तालाब परियोजना	4.555
24	साकल्दा तालाब परियोजना	0.430
25	टिल्लर परियोजना	4.480
26	वीरसागर तालाब परियोजना	0.078
	कुल योग	**103.264**

3.6 बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज :–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना टीकमगढ़ एवं दतिया जिले हैं । इस क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष–2010 में राशि रु. 1118.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से राशि रु. 931 करोड़ प्रथम चरण एवं सितम्बर 2013 में राशि रू. 700 करोड़ का द्वितीय चरण में विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है ।

प्रथम चरण :-

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि (रू. करोड़)	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	2018-19 में रबी सिंचाई (हेक्टर में)	प्रगति
1	राजघाट नहर परियोजना दतिया	100.00	164789	193699	पूर्ण
2	बरियारपुर परियोजना का निर्माण	117.00	43850	35400	पूर्ण
3	सिंहपुर बैराज का निर्माण	100.00	9900	9900	पूर्ण
4	146 लघु सिंचाई परियोजनायें	522.00	51969	51969	पूर्ण
5	78 आर.आर.आर. माइनर स्कीम तथा आर.आर.आर. उर्मिल एवं रनगवां नहर परियोजना	92.00	33169	33169	पूर्ण
	योगः-	**931.00**	**228420**	**130438**	

द्वितीय चरण :-

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रू. करोड़	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	प्रगति
1	पंचमनगर परियोजना काम्पलेक्स	184.17	25000	निर्माणाधीन
2	सोनपुर मध्यम परियोजना	89.22	7000	निर्माणाधीन
3	पवई मध्यम परियोजना	183.08	19534	निर्माणाधीन
4	21 लघु सिंचाई परियोजनायें	203.53	12150	17 योजनाएंपूर्ण , 03 योजनाएं प्रगतिरत एवं 01 निरस्त ।
5	कमाण्ड एरिया डेबलपमेंट वर्क्स	40.00	35000	प्रगतिरत है।
	योग :-	**700.00**	**98684**	

3.7 केन- बेतवा लिंक परियोजना :-

केन-बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें केन नदी पर दौधन बांध इसके अनुशंगिक कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण किया जाना है। केन नदी मध्यप्रदेश के कटनी जिले से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलकर समाप्त होती है। केन नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र 28058 वर्ग कि.मी. का 87 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश में और 13 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा कछार में बीना काम्पलेक्स, कोठा बैराज तथा लोअर ओर परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। परियोजना से मध्यप्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दमोह जिलों में माइक्रो इरीगेशन से केन कछार में 4.47 लाख हेक्टर, बेतवा कछार में 2.06 लाख हेक्टर तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के बांदा, महोबा और झांसी जिलों में 2.51 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना से उत्पन्न होने

वाली 103 मेगावॉट बिजलीपर पूरा अधिकार मध्यप्रदेश का रहेगा। इस परियोजना के द्वारा कुल 9.04 लाख हे. (म.प्र. में 6.53 लाख हे. एवं उ.प्र. में 2.51 लाख हे. कुल 9.04 लाख हे. सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 62 लाख आबादी के लिए पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।

बुन्देलखंड क्षेत्र में स्थित केन–बेतवा लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के मध्य दिनांक 25.08.2005 को एक त्रिपक्षीय मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टेडिंग भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण की डी.पी.आर. अप्रैल, 2010 में तैयार की गई, जिसके अंतर्गत केन नदी पर छतरपुर, पन्ना जिले में दौधन बांध, दो पावर हाउस, दो टनल एवं 218.6 कि.मी. लंबी लिंक नहर का निर्माण शामिल है। दौधन बांध की प्रस्तावित जीवित जल क्षमता लगभग 2684 MCM है। योजना में कुल डूब क्षेत्र 9000 हेक्टर है, जिसमें 5258 हेक्टर वन क्षेत्र, 2171 हेक्टर कृषि योग्य भूमि, 1571 हेक्टर तालाबों, नदियों, नालों की भूमि आ रही है। डूब क्षेत्र के 10 ग्रामों के लगभग 1913 परिवार विस्थापित हो रहे हैं। भारत सरकार से प्राप्त वन भूमि की अनुमति में लगभग 6017 हेक्टर राजस्व भूमि देने की बाध्यता है। वर्ष 2015–16 के मूल्य आधार पर परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केन कछार में प्रस्तावित दौधन बांध एवं नहरों आदि की लागत रू. 18057.08 करोड़ आंकलित की गई है। परियोजना की लागत रू.18057.08 करोड़ स्वीकार करते हुये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा निवेश हेतु स्वीकृति दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्रदान की गई। केन–बेतवा लिंक परियोजना, प्रथम चरण की सभी तकनीकी एवं वैधानिक स्वीकृतियां जैसे केन्द्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, पर्यावर्णीय स्वीकृति, वन्य जीव (Wild life) स्वीकृति, वन प्रकरण की स्वीकृति (Stage-I), जनजातीय परिवारों के लिये पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

परियोजना की द्वितीय चरण की डी.पी.आर. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2014 में तैयार की गई इसके अंतर्गत म.प्र. द्वारा बेतवा कछार में प्रस्तावित तीन परियोजनायें क्रमशः बीना काम्पेक्स से 96,000 हेक्टर, कोठा बैराज से 20,000 हेक्टर तथा लोअर ओर बांध से 90,000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई एवं मांग आधार पर पेयजल और उद्योगों हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रूप से निर्माण हेतु सुनिश्चित किया गया।

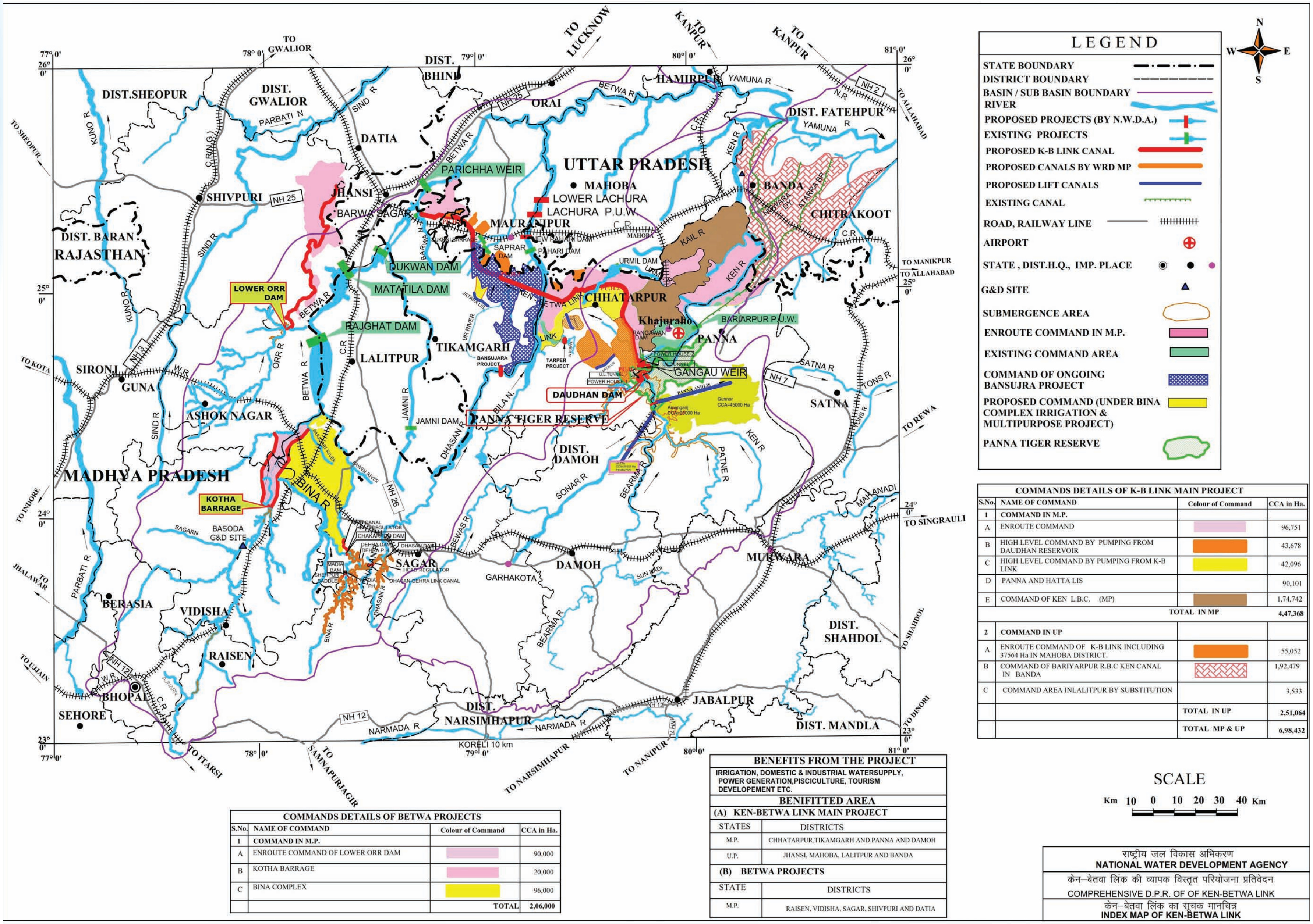

COMMANDS DETAILS OF K-B LINK MAIN PROJECT

S.No.	NAME OF COMMAND	Colour of Command	CCA in Ha.
1	COMMAND IN M.P.		
A	ENROUTE COMMAND		96,751
B	HIGH LEVEL COMMAND BY PUMPING FROM DAUDHAN RESERVOIR		43,678
C	HIGH LEVEL COMMAND BY PUMPING FROM K-B LINK		42,096
D	PANNA AND HATTA LIS		90,101
E	COMMAND OF KEN L.B.C. (MP)		1,74,742
	TOTAL IN MP		4,47,368
2	COMMAND IN UP		
A	ENROUTE COMMAND OF K-B LINK INCLUDING 37564 Ha IN MAHOBA DISTRICT.		55,052
B	COMMAND OF BARIYARPUR R.B.C KEN CANAL IN BANDA		1,92,479
C	COMMAND AREA INLALITPUR BY SUBSTITUTION		3,533
		TOTAL IN UP	2,51,064
		TOTAL MP & UP	6,98,432

COMMANDS DETAILS OF BETWA PROJECTS

S.No.	NAME OF COMMAND	Colour of Command	CCA in Ha.
1	COMMAND IN M.P.		
A	ENROUTE COMMAND OF LOWER ORR DAM		90,000
B	KOTHA BARRAGE		20,000
C	BINA COMPLEX		96,000
		TOTAL	2,06,000

BENEFITS FROM THE PROJECT

IRRIGATION, DOMESTIC & INDUSTRIAL WATERSUPPLY, POWER GENERATION,PISCICULTURE, TOURISM DEVELOPEMENT ETC.

BENIFITTED AREA

(A) KEN-BETWA LINK MAIN PROJECT

STATES	DISTRICTS
M.P.	CHHATARPUR,TIKAMGARH AND PANNA AND DAMOH
U.P.	JHANSI, MAHOBA, LALITPUR AND BANDA

(B) BETWA PROJECTS

STATE	DISTRICTS
M.P.	RAISEN, VIDISHA, SAGAR, SHIVPURI AND DATIA

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
NATIONAL WATER DEVELOPMENT AGENCY
केन–बेतवा लिंक की व्यापक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
COMPREHENSIVE D.P.R. OF OF KEN-BETWA LINK
केन–बेतवा लिंक का सूचक मानचित्र
INDEX MAP OF KEN-BETWA LINK

वर्ष 2009 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया एवं इसके वित्त पोषण हेतु 90:10 अनुपात में केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों के मध्य आधार निश्चित किया गया। तदानुसार दोनों राज्य इस परियोजना के क्रियान्वयन पर कार्य कर रहें हैं।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा केन–बेतवा लिंक परियोजना की तैयार की गई एकजाई डी.पी.आर.की वर्ष 2017–18 मूल्य आधार पर कुल लागत लगभग 35 हजार करोड़ रुपये आंकलित की गई है। बीना काम्पलेक्स परियोजना की सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है। लोअर ओर परियोजना की सभी वैधानिक स्वीकृतियॉ जैसे पर्यावरणीय, जन जातीय परिवारों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास स्वीकृति, वन प्रकरण की स्टेज–I स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्टेज–II स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। कोठा बैराज की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

केन्द्र शासन द्वारा प्रेषित MoA प्रारूप मध्यप्रदेश द्वारा संशोधन उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया है, जो अभी विचाराधीन है।

सीतानगर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिला दमोह

अध्याय – चार

सिंचाई एवं राजस्व : लक्ष्य एवं उपलब्धियां

4.1 सिंचाई

इस वर्ष 2019–20 में 20 जनवरी 2020 तक 27.39 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की गईं। रबी सिंचाई के लिए वर्षाकाल पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। सिंचाई परियोजनाओं में कमजोर हिस्सों को मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित किया गया और इन हिस्सों में किए जाने वाले कार्यों का आंकलन किया गया। जो कार्य ठेके से हो सकते थे उन्हें ठेके से तथा जो ठेके के माध्यम से कम समय में संभव नहीं थे उन्हें विभागीय तौर पर कराया गया। इसमें विभागीय विद्युत यांत्रिकी अमले को भी शामिल किया गया। इस कार्य में उपलब्ध विभागीय मशीनों का उपयोग कर नहरों की सफाई, सिल्ट निकालने, बैडग्रेड बनाने, अधूरी नहरों को पूर्ण करने एवं नहरों से अवरोध हटाने का कार्य किया गया। इस कार्य को अधिक गति देने एवं वर्षा पूर्व पूर्ण करने के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर भारी मशीनें लगाई गईं। जिन तालाबों में स्लूस गेट से लीकेज होता था अथवा अन्य कारणों से लीकेज से जल अपव्यय होता था, उन्हें चिन्हित कर ठीक किया गया। अधिकांश तैयारियां वर्षा आने के पूर्व कर ली गई।

वर्षा काल में सभी जलाशयों में जल का नियमन इस प्रकार किया गया कि भण्डारण अधिकतम रहे। इसके लिए बड़े/मध्यम जलाशयों में जल स्तर की सतत् मॉनिटरिंग 'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम' के उपयोग से की गई। प्रतिदिन वर्षा जल भराव बिना किसी खतरे के अधिकतम हो सके इसके लिए जलद्वारों को समय–समय पर खोलकर जल बहाव को नियंत्रित किया गया।

25 सितम्बर की स्थिति में राज्य के सभी जलाशयों में जल भराव की मात्रा को कम्प्यूटर पर ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था कर अमल में लाया गया। उपलब्ध जल के आधार पर हर परियोजना का रबी सिंचाई लक्ष्य मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया। विभाग की वेबसाइट पर 'इरिगेशन मानिटरिंग सिस्टम' में इन लक्ष्यों को दर्ज किया गया तथा की गई सिंचाई

के आंकड़ों की इस सिस्टम में पाक्षिक प्रविष्टी की व्यवस्था बनाई गई। वीडियो कान्फ्रेस तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से पूरे रबी सत्र में सिंचाई की सतत् मानिटरिंग की गई है । सिंचाई की मानिटरिंग हेतु अंतिम छोर में स्थित कृषकों से उनके मोबाइल पर संपर्क कर मैदानी अधिकारियों द्वारा सतत जायजा लिया गया ।

उपरोक्त रणनीति के अनुसार विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने टीमभावना से एकजुट होकर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप 20 जनवरी 2020 तक खरीफ 2.00 लाख हेक्टर एवं रबी 27.39 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है। यह उपलब्धि सतत् अनुश्रवण, कुशल जल प्रबन्धन के कारण ही संभव हो सकी।

वर्षवार /कछारवार रबी सिंचाई					**सिंचाई हेक्टर में**	
मुख्य अभियंता	**वर्ष 2014–15**	**वर्ष 2015–16**	**वर्ष 2016–17**	**वर्ष 2017–18**	**वर्ष 2018–19**	**वर्ष 2019–20 20/01/2020 तक**
रबी सिंचाई						
चम्बल बेतवा कछार	311853	347516	349532	281530	336279	379410
धसान केन कछार	205150	135401	243009	150142	259124	256109
गंगा कछार	235308	213023	231933	232165	261940	183994
नर्मदा ताप्ती कछार	355646	419268	422120	369228	420228	500098
राजघाट नहर परियोजना	261265	268867	269269	266984	306161	313841
वैनगंगा कछार	175286	163012	222227	179526	242738	189002
होशंगाबाद	409440	421207	427439	401735	393572	418272
यमुना कछार	438084	476392	486095	460700	499512	498956
योग	2392032	2444686	2651624	2342010	2719554	2739682
खरीफ सिंचाई	216966	305596	251122	131041	249828	200475
योग	2608998	2750282	2902746	2473051	2969382	2940157

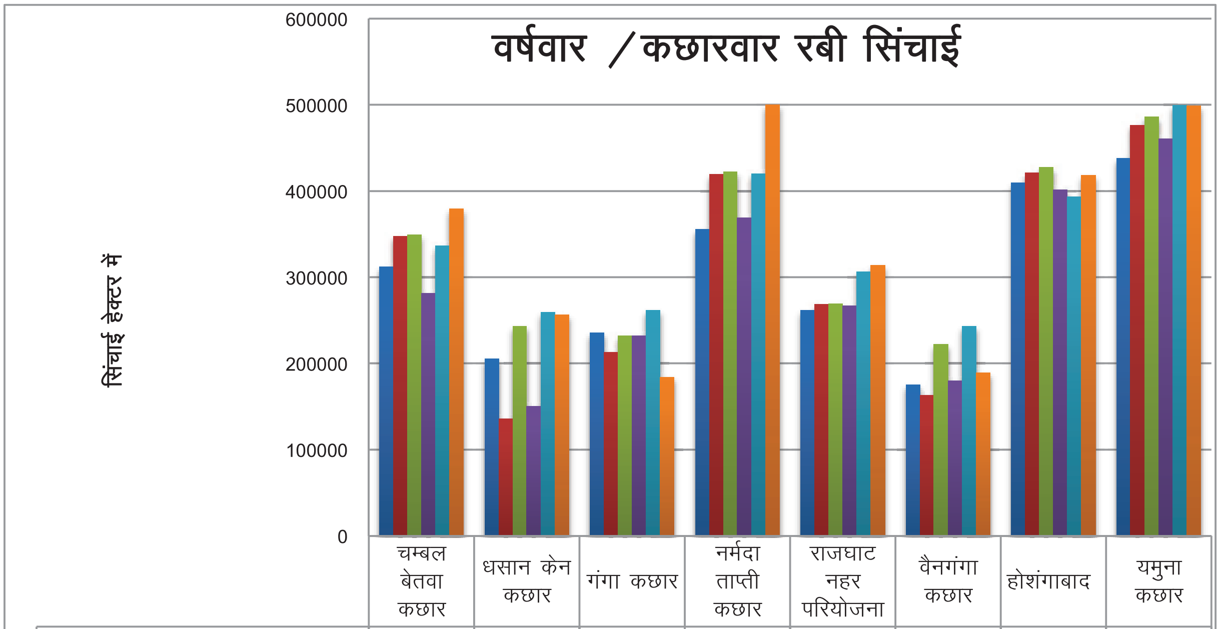

	चम्बल बेतवा कछार	धसान केन कछार	गंगा कछार	नर्मदा ताप्ती कछार	राजघाट नहर परियोजना	वैनगंगा कछार	होशंगाबाद	यमुना कछार
वर्ष 2014–15	311853	205150	235308	355646	261265	175286	409440	438084
वर्ष 2015–16	347516	135401	213023	419268	268867	163012	421207	476392
वर्ष 2016–17	349532	243009	231933	422120	269269	222227	427439	486095
वर्ष 2017–18	281530	150142	232165	369228	266984	179526	401735	460700
वर्ष 2018–19	336279	259124	261940	420228	306161	242738	393572	499512
वर्ष 2019–20 (20/01/2020 तक)	379410	256109	183994	500098	313841	189002	418272	498956

4.2 राजस्व

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। इस हेतु राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण वर्तमान में भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इन बांधों द्वारा संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु किया जाता है।

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 26 ''ए' के अंतर्गत जल पर शासन का अधिकार है। 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जल दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं की रख–रखाव की पूर्ण राशि जल कर से प्राप्त हो सके एवं यह भी ध्यान रखा जावे कि इस प्रक्रिया से कृषकों पर अत्याधिक वित्तीय भार न पड़े। वर्तमान में कृषि उत्पादन के लिए प्रदाय किये जाने वाले जल की राजस्व दरें, बांध एवं नहरों के निर्माण एवं रखरखाव लागत की तुलना में अत्यन्त ही कम रखी गई हैं। कृषक यदि किसी अन्य स्रोत से जल प्राप्त करते हैं तो उन्हें विभाग के द्वारा निर्धारित राजस्व राशि से कम से कम 8 गुना से अधिक राशि देना

होती है। पिछले वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में अत्यधिक वृध्दि हुई है लेकिन कृषि के लिए प्रदाय किये जाने वाले पानी की दरों में वर्ष दिसंबर, 2005 से कोई वृध्दि नहीं की गई है। पेयजल दर में भी वर्ष 2000 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा कृषि एवं पेयजल के लिए दिये जा रहे पानी हेतु लिया लाने वाला जल शुल्क न्यूनतम है एवं प्रतीकात्मक ही है।

4.2.1 मध्यप्रदेश में सिंचाई संकर्मों से कृषि प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय हेतु जल दर की अनुसूची (प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)

क्रमांक	फसलों का नाम	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
1	धान–खरीफ (प्रत्येक बार पानी)	85.00
2	हरी घास वाली फसलें– मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर, उड़द	50.00
3	कपास (प्रत्येक बार पानी)	70.00
4	धान–रबी (प्रत्येक बार पानी)	155.00
5	गेहूं 1. पलेवा 2. प्रत्येक बार अतिरिक्त पानी पर	 125.00 75.00
6	चना (प्रत्येक बार पानी)	75.00
7	धनिया,मूंगफली (रबी), मूंग(रबी), सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन(रबी), तुअर(रबी), (प्रत्येक बार पानी)	75.00
8	जौं, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुइयां, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां	630.00
9	बरसीम घांस (फोडर क्रॉप)	480.00
10	केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960.00
11	जमीन तैयार करने के लिए जल (पलेवा) अ– खरीफ ब– रबी	 125.00 125.00
12	ऊपर वर्णित फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदाय किये गये प्रत्येक बार पानी	50.00

4.2.2 पेयजल के लिए जल दर :

शासन ने पत्र क्रं. 29/31/99/म/31/83 दिनांक 14 जनवरी 2000 द्वारा अधिसूचना जारी कर निगम और नगरों के जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुए नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घरेलू उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की है। उक्त दर 1/4/2000 से प्रभावशील है एवं इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्धि होगी।

4.2.3 औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल दरः

शासन के आदेश क्रमांक 18/1/91/मध्यम/31/797 दिनांक 30/11/2010 द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 01.01.2013 तक अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल दरों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार 01.01.13 से दरें निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	जल स्त्रोत	जल कर रू. (प्रति घनमीटर में)
अ.	शासकीय स्त्रोतों से (यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि)	5.50
ब.	नैसर्गिक स्त्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्त्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से —	
	1. स्वयं के व्यय से बांघ आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में ।	1.55
	2. नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिये जाने की दशा में	1.55
	शासकीय जल भण्डारण परियोजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत परियोजनाओं की जनरेटिंग इकाईयों को प्रदाय किए जाने वाला जल, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना।	20 पैसे प्रति विद्युत इकाई (किलोवॉट घंटा) दर दिनांक 1.1.10 से इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि।
	3, नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना ।	05 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवॉट/घंटा उत्पादन दिनांक 1.10. 2010 से एवं प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि।

4.3 प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	वर्ष	कृषि सिंचाई		पेयजल		उद्योग		म.प्र.रा.वि. मडल		अन्य		कुल योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2014–15	61.00	22.74	18.40	0.94	234.00	132.50	26.40	19.50	10.20	21.70	350.00	197.37
2	2015–16	74.33	24.63	36.02	2.73	296.12	187.64	42.61	50.19	50.92	25.64	500.00	290.83
3	2016–17	175.74	24.75	12.56	3.01	225.98	196.64	64.03	158.34	21.69	12.72	500.00	395.45
4	2017–18	225.19	23.53	40.83	4.61	212.40	150.78	103.00	110.77	18.58	27.70	600.00	317.38
5	2018–19	235.14	22.25	42.21	4.10	244.40	452.34	85.00	89.38	43.25	75.53	650.00	643.59
6	2019–20 (upto 12/2019)	263.47	17.68	153.09	2.20	778.60	144.47	91.14	62.25	113.70	25.06	1400.00	251.66

∞∞∞∞∞∞∞

अध्याय – पाँच

विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1 प्रमुख अभियंता कार्यालय अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचनाएं :

5.1.1 सतर्कता प्रकोष्ठ

जल संसाधन विभाग से संबंधित लोकायुक्त संगठन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, माननीय मुख्यमंत्री सांसद, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि, शासन तथा सामान्यजनों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाता है । सतर्कता प्रकोष्ठ के अंतर्गत लोकायुक्त कक्ष, सतर्कता कक्ष, जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायत/उड़न दस्ता कक्ष के माध्यम से वर्ष 2019–20 में दिनांक 31.12.19 की स्थिति में प्राप्त एवं व्यवहारित शिकायती प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

5.1.1.1 लोकायुक्त कक्ष :

1. लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रकरण :–

लोकायुक्त कक्ष द्वारा लोकायुक्त कार्यालय एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेक्षण ब्यूरो से प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है । विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) दिनांक 31.12.18 तक लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त 451 शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जानी शेष थी । दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक लोकायुक्त कार्यालय से 13 शिकायतें प्राप्त हुई, इस अवधि में 01 प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय द्वारा समाप्त किया गया, शेष प्रकरणों के निराकरण हेतु कक्ष द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है ।

2. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त प्रकरण :–

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सीधे मूलतः विभाग को प्रेषित तथा शासन के माध्यम से विभाग को मूलतः प्रेषित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाकर जांच प्रतिवेदन शासन/ब्यूरो को प्रेषित

किया जाता है। दिनांक 31.12.18 तक ब्यूरो से प्राप्त 389 प्रकरणों पर कार्यवाही की जानी थी। दिनांक 01.01.19 से दिनांक 31.12.19 तक 37 शिकायती प्रकरण और प्राप्त हुये इस अवधि में 01 प्रकरण प्रमुख अभियंता स्तर पर समाप्त किया गया। शेष प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

5.1.1.2सतर्कता कक्ष :

माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग, अन्य मंत्रीगण, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव महोदय एवं शासन से प्राप्त शिकायतों की जांच उपरांत निर्देशानुसार जांच प्रतिवेदन शासन तथा उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाते हैं। दिनांक 31.12.2018 तक सतर्कता कक्ष में कुल व्यवहारित प्रकरणों की संख्या 564 थी। दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक 05 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये। इस अवधि में 03 प्रकरण जांच पश्चात् नस्तीबद्ध किये गये हैं। शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रकियाधीन हैं।

5.1.1.3 जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायत :–

शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें तथा सामान्य नागरिक, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों से सीधे अथवा शासन के माध्यम से प्राप्त शिकायतें इस कक्ष द्वारा व्यवहारित की जाती हैं।

1. जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें :–

दिनांक 31.12.18 तक जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त 401 शिकायती प्रकरण अंतिम रूप से निराकरण हेतु शेष हैं। वर्ष 2019–20 में दिनांक 31.12.19 तक 07 शिकायती प्रकरण, जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त हुए, दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक कुल 09 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

2. सामान्य शिकायतें :–

दिनांक 31.12.18 तक 1704 सामान्य शिकायतें अंतिम रूप से निराकरण हेतु शेष थी। वर्ष 2019–20 में दिनांक 31.12.19 तक 153 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए, दिनांक 01.01.19 से 30.11.19 तक 54 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

3. एकल नस्ती/उड़नदस्ता द्वारा जांच के प्रकरण :–

शासन स्तर पर व्यवहारित मूल नस्तियां/एकल नस्तियां (जिनके तहत् भी शासन से एकल नस्ती के माध्यम से शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए हैं) एवं माननीय मंत्रीजी तथा शासन द्वारा विभाग स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन कर शिकायतों की जांच हेतु निर्देशित प्रकरण इस कक्ष द्वारा व्यवहारित किये जाते हैं ।

(अ) एकल नस्ती प्रकरण :–

दिनांक 31.12.18 तक 422 शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जानी शेष है। दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक शासन से 07 शिकायतें प्राप्त हुई है। इस अवधि में 04 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

(ब)उड़न दस्ता द्वारा जांच के प्रकरण :–

दिनांक 31.12.18 तक 107 प्रकरण उड़न दस्ता दल के माध्यम से जांच के तहत व्यवहारित किये जा रहे थे। दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक उड़न दस्ता दल से जांच हेतु 07 प्रकरण प्राप्त हुये। दिनांक 01.01.19 से 31.12.19 तक 01 प्रकरण का जांच प्रतिवेदन माननीय मंत्रीजी/शासन को प्रेषित किया गया है। शेष प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है।

5.1.2 न्यायालयीन प्रकोष्ठ

प्रकोष्ठ अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी 15 दिसम्बर–2019 की स्थिति में निम्नानुसार हैः–

स. क्र.	विवरण	श्रम न्यायालय	औद्योगिक न्यायालय	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	अवमानना	उपादान	सिविल कोर्ट	आर्बीट्रेशन	कुल योग
1	दै.वे.भो. से संबंधित	121	5	656	37	138	112	0	0	1069
2	कार्यभारित से संबंधित प्रकरण	5	0	233	0	63	5	0	0	306
3	नियमित स्थापना से संबंधित प्रकरण	0	0	485	3	44	0	1	0	533
4	ठेकेदारों से सबंधित	2	0	87	5	2	0	46	147	289
5	भू–अर्जन से संबंधित	0	0	918	1	1	0	1478	0	2398
6	अन्य जन सामान्य से संबंधित प्रकरण	23	0	262		43	9	98	2	437
	कुल योग	**151**	**5**	**2641**	**46**	**291**	**126**	**1623**	**149**	**5032**

5.1.3 विधानसभा प्रकोष्ठ

विभाग में वर्ष 2019–20 में 31.12.19 तक प्राप्त विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन, अधिसूचना, अशासकीय संकल्प, अभ्यावेदन याचिका की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रकरण के प्रकार	दिसंबर–2019 तक
विधान सभा प्रश्न	332
ध्यानाकर्षण सूचना	80
अधिसूचना	0
अशासकीय संकल्प	01
स्थगन प्रस्ताव	0
आश्वासन	15
अभ्यावेदन	0
याचिका	55
शून्य काल	05
कट मोशन	0
पढ़ी गई सूचना	09

5.1.4 सूचना का अधिकार

जल संसाधन विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मई 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ''सूचना के अधिकार'' के तहत जनसाधारण शासकीय अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। शासन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी अवर सचिव, लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी सचिव, जल संसाधन हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया हैं। प्रमुख अभियंता विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं।

5.2 आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचना :–

5.2.1 सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संचालनालय (पी.आई.एम.)

प्रदेश में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन लागू किये जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 दिनांक 15 सितम्बर 1999 से पूरे प्रदेश में प्रभावशील है तत्पश्चात जल संसाधन विभाग में मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी

अधिनियम,1999 (यथा संशोधित 2013) वर्तमान में क्रियाशील है, जिसमें जल उपभोक्ता संथाओं को अभंग निकाय बनाया जाकर प्रत्येक दो वर्षों में एक तिहाई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाना प्रावधानित था।

उपरोक्त व्यवस्था को मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अनुसार परिवर्तन करने हेतु जनप्रतिनिधियों एवं जल उपभोक्ता संथाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व की भांति जल उपभोक्ता संथाओं एवं प्रादेशितक निर्वाचन क्षेत्र की प्रबंध समिति का कार्यकाल पांच वर्ष किये जाने हेतु मांग की जा रही थी। अतः जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन करने हेतु अधिनियम में संशोधन बाबत (द्वितीय संशोधन 2019) विधेयक विधानसभा में पारित किया जा चुका है।

जल संसाधन विभाग में ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनमें दबावयुक्त सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जाना प्रस्तावित है। इस तकनीकी से निर्मित सिंचाई क्षेत्र में संथाओं का कार्यकाल भी पांच वर्ष रखा जावेगा। वर्तमान में प्रचलित बहाव प्रणाली एवं दबावयुक्त पाईप सिंचाई प्रणाली अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के लिए जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति एवं परियोजना समिति का गठन कर जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति, वितरिका समिति एवं परियोजना समिति का कार्यकाल भी पांच वर्ष होगा।

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित 2013) की मूल अधिनियम की धारा 4 में स्थापन तथा धारा 2,3,6,8,17,23 एवं 25 में संशोधन किया गया है।

धारा 4 की उपधारा 6 में प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये पद पर रहेंगे।

सिंचाई परियोजनाओं की नहरों का उचित संचालन एवं रखरखाव के उद्देश्य से अधिनियम में यथोचित संशोधन किया गया है साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से, सिंचाई के लिये नवीन वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दबावयुक्त पाईप सिंचाई प्रणाली के लिये भी अधिनियम में उपबंध किया गया है। अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार नियम बनाये जाना प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में कुल 2064 जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से 24.74 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का कार्य किया गया। प्रदेश में गठित जल उपभोक्ता संथाओं की कछारवार संख्या एवं कमांड क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	मुख्य अभियंता का नाम	वृहद् ज.उ.सं.		मध्यम ज.उ.सं.		लघु ज.उ.सं.		योग ज.उ. सं.	
		संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
1	गंगा कछार, रीवा	70	1.44	14	0.21	90	0.75	174	2.40
2	वैनगंगा कछार, सिवनी	108	2.02	57	0.77	232	1.59	397	4.38
3	जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	176	3.04	15	0.25	48	0.37	239	3.66
4	चंबल बेतवा कछार, भोपाल	16	0.28	42	0.78	162	1.00	220	2.07
5	राजघाट परियोजना, दतिया	140	2.51	3	0.03	4	0.02	147	2.57
6	यमुना कछार, ग्वालियर	164	3.97	16	0.30	41	0.27	221	4.54
7	नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर	21	0.29	42	0.62	357	2.00	420	2.91
8	धसान केन कछार, सागर	34	0.52	33	0.49	179	1.20	246	2.21
	योगः–	**729**	**14.07**	**222**	**3.46**	**1113**	**7.21**	**2064**	**24.74**

5.3 मुख्य अभियंता बोधी के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचनाएं :–

5.3.1 बांध सुरक्षा संगठन –

बांध सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बांधों का निरीक्षण कर बांधों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना एवं तदनुसार बांधों को सुधारने के लिये तकनीकी सुझाव देना है। बांधों के सुधारों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये एक राज्य स्तरीय बांध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश समिति के अध्यक्ष हैं एवं संबंधित कछारीय परियोजना के मुख्य अभियंता, सदस्य हैं। संचालक, बांध सुरक्षा समिति के सचिव नियुक्त किये गए हैं।

5.3.1.1बांध सुरक्षा संगठन के मुख्य कार्यः–

- बांध सुरक्षा के संबंध में राज्य द्वारा प्रसारित कार्यकारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।

- राज्य स्तरीय बांधों की डाटा बुक तैयार करना तथा तकनीकी दस्तावेज के लिये डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरांत बांधो के निरीक्षण प्रतिवेदनों की परिवीक्षा करना तथा इनके आधार पर बांधो की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्त बड़े बांधों का निरीक्षण किया जाकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिये अनुशंसा करना।
- बड़े बांधों जिनकी ऊंचाई 15 मी. से अधिक या जल क्षमता 60 मि.घन मी. या अधिक है, का स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाना।
- निर्माणाधीन समस्त बड़े बांधों के रूपांकन, पुनर्विलोकन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। समस्त बड़े बांधों के पूर्णता प्रतिवेदन जिसमें रूपांकन, निर्माण तथा रूपांकन से संबंधित आंकड़ों का समावेश हो, की परिवीक्षा करना।
- बड़े बांधो में लगाये गये उपकरणों के आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- बांधो में बड़ी आपदा की स्थिति में परियोजना अधिकारियों को सहयोग करना, विशेषज्ञों का पैनल गठित करने के लिए कार्यवाही करना तथा उक्त पैनल के सुझावों को समन्वित करना। पैनल द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण कार्य में समन्वय करना तथा पैनल को प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देना।
- राज्य के समस्त बड़े बांधों की स्थिति को केन्द्रीय जल आयोग के बाँध सुरक्षा संगठन को प्रस्तुत करने के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- आपातकालीन योजना की तैयारी करना तथा इस संबंध में पथ प्रदर्शन करना।
- बांध सुरक्षा संचालनालय तथा राज्य के लिये बांध सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा निगरानी की प्रक्रिया, निरीक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, रख–रखाव, संचालन तथा आपात कालीन कार्य योजना तैयार करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.3.2 सिंचाई अनुसंधान संचालनालय :–

विभाग के अधीन सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया। इसके अंतर्गत बड़े बांधों की मॉडल स्टडी हेतु प्रदेश स्तर की एक जल विज्ञान प्रयोगशाला वर्ष

1964 में एवं एक प्रदेश स्तर की मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1970 में की गई । तदोपरान्त वर्ष 1985 में यू.एस.ए.आई.डी. के अंतर्गत मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला भोपाल का उन्नयन किया गया एवं जबलपुर में अस्थायी मिटटी एवं धातु प्रयोगशाला प्रारम्भ की गयी, जो कि वर्ष 1988 से स्थायी रूप से संचालित है।

प्रयोगशाला में प्रस्तावित/निर्माणाधीन तथा निर्मित परियोजनाओं की निर्माण संबंधी विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान के माध्यम से समुचित निदान किया जाता है। संचालनालय के अधीन परियोजना के निर्माण में उपयोगी मिट्टी एवं धातु परीक्षण हेतु भोपाल एवं जबलपुर में प्रयोगशालायें कार्यरत हैं । वर्तमान में संचालनालय मुख्य अभियंता, बोधी भोपाल के अधीन कार्यरत हैं। संचालनालय, सिंचाई अनुसंधान के अधीन म.प्र. में निम्नानुसार प्रयोगशालायें कार्यरत हैं :–

1. जल विज्ञान प्रयोगशाला, हथाईखेड़ा भोपाल वर्ष 1964 से।
2. मिटटी, धातु एवं रसायन परीक्षण प्रयोगशाला हथाईखेड़ा भोपाल वर्ष 1970 से।
3. मिटटी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, पचपेढ़ी जबलपुर वर्ष 1988 से।

(A) जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल :–

1) प्रस्तावित बांधों के स्केल मॉडल बनाकर प्रस्तुत डिजाइन की हाइड्रोलिक परफॉरमेंस के आधार पर परीक्षण कर समुचित सुझाव देना ।
2) प्रस्तावित एनर्जी डिसीपेंशन अरेंजमेंट की क्षमता का परीक्षण करना।
3) निर्माणाधीन परियोजना का स्टेज कन्स्ट्रक्शन का अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।
4) परियोजना के गेट ऑपरेशन अध्ययन पर समुचित प्रणाली का विकास करना।
5) परियोजना में उत्पन्न आकस्मिक समस्याओं का मॉडल अध्ययन कर उचित निदान प्रस्तुत करना।
6) बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिये मॉडल अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।

वर्ष 2019—20 में निम्न परियोजनाओं के मॉडल अध्ययन की अद्यतन स्थिति का विवरण :—

स. क्र.	कार्य का नाम	जिला	मॉडल का प्रकार	रिपोर्ट नम्बर	माह / वर्ष
1	इंदोख बैराज	उज्जैन	2डी. मॉडल	102181	अप्रैल 2019 में रिपोर्ट जारी
2	पारवती परियोजना	राजगढ़	2डी. मॉडल	102182	जून 2019 में रिपोर्ट जारी
3	कारम परियोजना	धार	2डी. मॉडल	102183	जून 2019 में रिपोर्ट जारी
4	सीता नगर परियोजना	दमोह	2डी. मॉडल	102184	जून 2019 में रिपोर्ट जारी
5	छीता खुदरी परियोजना	जबलपुर	2डी. मॉडल	102185	अगस्त 2019 में रिपोर्ट जारी
6	बरखेड़ा परियोजना	धार	2डी. मॉडल	102186	अगस्त 2019 में रिपोर्ट जारी
7	चकरपुर परियोजना	सागर	2डी. मॉडल	102187	रिपोर्ट तैयार
8	घोघरी परियोजना	बैतूल	2डी. मॉडल	102188	मॉडल अध्ययन पूर्ण
9	नवनेरा बैराज	कोटा (राजस्थान)	2डी. मॉडल	10289	मॉडल अध्ययन पूर्ण
10	बंडा परियोजना	सागर	2डी. मॉडल		मॉडल निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11	मडिया परियोजना	सागर	2डी. मॉडल		मॉडल निर्माण कार्य प्रगति पर है।
12	कडान परियोजना	सागर	2डी. मॉडल		मॉडल निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(B) मिट्टी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल एवं जबलपुर :—

1) परियोजना में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण कर उसकी उपयोगिता सुनिश्चित् करना।

2) परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट आदि का परीक्षण कर गुणों के आधार पर उपयोगिता सुनिश्चित् करना कि वे निर्माण में किस सीमा तक उपयोग की जा सकती है अथवा नहीं।

3) मिट्टी के अधिकतम घनत्व कॉम्पेक्ट करने के लिये जल की मात्रा का आंकलन करना।

4) सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी की मात्रा का मिक्स डिजाइन द्वारा विभिन्न ग्रेड की कांक्रीट हेतु निर्धारण करना।

5) पक्के बांधों से होने वाले जल रिसाव के रासायनिक परीक्षण करने का कार्य।

वर्ष 2019–20 में संपादित परीक्षणों का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	मिट्टी परीक्षण (कुल नमूने)	रेत परीक्षण (कुल नमूने)	धातु परीक्षण (कुल नमूने)	सीमेंट परीक्षण	मिक्स डिजाईन	क्यूब टेंस्टिंग	कुल नमूने
1	मिट्टी / धातु परीक्षण संभाग, भोपाल	987	75	194	60	39	726	2081
2	मिट्टी / धातु परीक्षण संभाग, जबलपुर	63	05	16	–	–	11	95

5.3.2.1 हथाईखेड़ा प्रयोगशाला भोपाल का आधुनिकीकरण :–

(1) हथाईखेड़ा प्रयोगशाला में मिट्टी एवं धातु परीक्षण तथा रसायन प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण कर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) हथाईखेड़ा जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

5.3.3 जल मौसम विज्ञान संचालनालय :–

मध्यप्रदेश में जल मौसम विज्ञान संरचना की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस संरचना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल मौसम विज्ञान के अंतर्गत स्थापित विभिन्न वर्षा मापी केन्द्रों, जल प्रवाह मापन स्थलों एवं मौसम केन्द्रों से आंकड़े एकत्रित करना एवं उनका उपयोग विभागीय कार्यों हेतु करना है।

इन कार्यों के सम्पादन हेतु प्रदेश के विभिन्न कछारों में जल मौसम विज्ञान स्थलों की नेटवर्क की स्थापना वर्ष 1981 में शुरू की गई थी । माही, ताप्ती एवं वैनगंगा कछारों में स्थापित जल मौसम विज्ञान केन्द्रों का उन्नयन एवं कुछ नये कार्यस्थल स्थापित किये गये । जल मौसम के हर घंटे के आंकड़े एकत्र करने के लिये रियल टाइम डाटा एक्विजीशन सिस्टम (RTDAS) वैनगंगा कछार में स्थापित किया गया। RTDAS का सम्पूर्ण डाटा भोपाल स्थित डाटा सेंटर में प्राप्त हो रहा है।

5.3.4 भू–जल सर्वेक्षण ईकाई :–

भू–जल सर्वेक्षण संरचना द्वारा सन् 1970 से भूजल के सर्वेक्षण एवं अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। इस संरचना में मुख्य अभियंता बोधी के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल एवं अधीक्षण यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर कार्यरत हैं। भोपाल मण्डल के अधीन चार संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय क्रमशः उज्जैन, सागर, ग्वालियर और खण्डवा तथा 23 जिला

भू–जल सर्वेक्षण इकाईयों तथा चार रसायनिक प्रयोगशालाएं सागर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल में कार्यरत हैं। अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर के अधीन तीन संभागीय वरिष्ठ भू–जल विद कार्यालय क्रमशः जबलपुर, बालाघाट, एवं रीवा तथा 11 जिला इकाईयों के साथ तीन रासायनिक प्रयोगशालाओं क्रमशः जबलपुर, बालाघाट एवं सतना के द्वारा भू–जल सर्वेक्षण अध्ययन, भू–जल विकास एवं भू–जल विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है।

5.3.4.1 भू–जल सर्वेक्षण संरचना के नियमित कार्यः–

भू–जल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 5071 स्थायी अवलोकन कूप एवं 540 पीजो मीटर हैं। इस संरचना द्वारा भू–जल स्तर मापन एवं अध्ययन का कार्य वर्ष में चार बार 1 जनवरी से 10 जनवरी (रबी मौसम के दौरान) 20 मई से 30 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) एवं 1 नवंबर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात) किया जाता है।

1. पीजोमीटर में भू–जल स्तर का मापन कार्य प्रतिमाह किया जाता है।
2. भू–जल नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण कार्य वर्ष में दो बार 20–30 मई (वर्षा पूर्व) तथा 01 नवंबर से 10 नवंबर (वर्षा पश्चात्) किया जाता है।
3. प्रदेश का विकासखंडवार भू–जल आंकलन प्रतिवेदन प्रति दो वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है। वर्तमान में आधार वर्ष 2017 का भू–जल आंकलन तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है।
4. कूप एवं नलकूप खनन हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन हेतु भू–भौतिकी सर्वेक्षण कार्य किया जाता है ।
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत एच.पी.–1 और एच.पी.–2 में हुए कार्यों का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है।
6. बांधों के निर्माण स्थल पर फाउंडेशन के स्ट्राटा एवं पूर्व निर्मित बांधों में रिसाव के कारण ज्ञात करने हेतु मल्टीचैनल सर्वे कार्य किया जाता है।
7. वर्षा कम होने/सूखे की स्थिति में स्थायी अवलोकन कूपों एवं पीजोमीटर के भू–जल स्तर के आधार पर ग्राउंड वाटर डाटा इंडेक्स (GWDI) तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाता है ।

5.3.4.2 भू–जल सर्वेक्षण संरचना की प्रस्तावित योजना :–

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-HKKP-GW) :–

इस योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी कम्पोनेंट में भ–ूजल के उपयोग से कुएं एवं ट्यूबवेल इत्यादि खोदकर सिंचाई किये जाने बाबत् भारत सरकार जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर योजना प्रस्तावित की गई है, इस योजना अर्थात् (PMKSY-HKKP-GW) में कार्य करने हेतु ऐसे पांच जिलों का चयन किया गया है, जहॉ वर्तमान में सिंचाई कम है । ये जिले हैं :– 1. मण्डला, 2. डिंडोरी, 3. उमरिया, 4. शहडोल एवं 5. सिंगरौली ।

वर्तमान में इस योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव, साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है ।

5.4 मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचना :–

5.4.1 केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई

जल ससांधन विभाग के अंतर्गत मुख्य अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी का पद विशेष कार्यों को संपादित करने हेतु सृजित किया गया है। विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अंतर्गत केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई द्वारा वर्ष 2019–20 में प्रदेश के निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के डेम, केनाल, बैराज एवं स्टाप डेम हेतु छोटे बड़े आकार के कुल 546 जलद्वारों का निर्माण कार्य एवं स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता एवं निश्चित समयावधि में एवं आर्थिक मितव्ययिता के साथ पूर्ण किया गया। जलद्वारों के निर्माण कार्य में कुल 376.43 मैट्रिक टन स्टील द्वारा गेट फैब्रीकेशन का कार्य हुआ जिसकी लागत रू. 503 लाख रही।

विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अधीन कार्यरत 4 भारी मशीनरी संभागों द्वारा प्रतिवेदित सत्र में प्रदेश की विभिन्न नागरिक परियोजनाओं पर चल रहे अर्थवर्क की मिट्टी दाब का लगभग 151.20 लाख घन मीटर का कार्य सफलतापूर्वक उच्चगुणवत्ता एवं आर्थिक मितव्यियिता के साथ समयावधि में पूर्ण किया गया।

इसके अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अधीन कार्यरत 8 लाईट मशीनरी एवं विद्युत एवं यांत्रिकी संभागों द्वारा प्रदेश में निर्मित वृहद परियोजनाओं के जलद्वारों एवं विद्युत संरचनाओं का संधारण व सफल संचालन किया गया। निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं के जलद्वारों/माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के पंप/मोटरों की फेक्ट्री/फील्ड टेस्टिंग व कार्यस्थल पर स्थापना का कार्य एजेंसी के साथ समन्वय के साथ कराया गया ।

अध्याय – छः

जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि

मध्यप्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इस उद्धेश्य से म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 4 (क) (एक) के द्वारा किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भू–धारकों की पत्नियॉं जो कि भू–धारक नहीं हैं, को भी भू–धारक मान्य किया गया है। इस प्रकार से महिलाओं को कृषक संगठन के निर्वाचन में मताधिकार एवं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदाय किया जाकर सशक्त किया गया है।

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 32/1/99/मध्यम/31/1244 दिनांक 13.5. 2000 के अनुसार यदि किसी कृषक संगठन में कोई महिला सदस्य निर्वाचित नही होती तो कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसी संगठन क्षेत्र की किसी महिला को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी, ताकि सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 11 के अधीन कृषक संगठन के संचालन के लिए गठित की जाने वाली 6 उपसमितियों में से एक उपसमिति "महिलाओं की भागीदारी उपसमिति" गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें सभी 6 सदस्य महिलायें होंगी एवं इस समिति की अध्यक्षता भी महिला सदस्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार से प्रदेश में विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें सशक्त बनाए जाने के लिऐ कृषि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये भी प्रावधान है।

एस्केप कम क्रॉस रेग्युलेटर एलबीसी मुख्य नहर आरडी 8130 मीटर
(पेंच परियोजना ज़िला छिन्दवाड़ा)

एलबीसी टनल आरडी 10035 मीटर
(पेंच परियोजना ज़िला छिन्दवाड़ा)

अध्याय – सात

विभाग की प्रतिबद्धताएं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1 विभाग की प्रतिबद्धता :

सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करना विभाग का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा सभी दिशाओं में समुचित प्रयास कर सफलता प्राप्त की जा रही है। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से दिसंबर 2019 तक लगभग 33.45 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है। आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 45 लाख हेक्टर है ।

राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य किये जाने के लिये पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था की गई है।

सभी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई जल पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के जल का उच्चतम दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित् हो सके। इसी क्रम में समस्त वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की नहरों की लाईनिंग कराने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हो सके।

सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने के उद्देश्य से माईक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग की 22 वृहद एवं 29 मध्यम परियोजनाओं से लगभग 16.87 लाख हेक्टर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान किये गये हैं ।

विभाग के द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ–साथ नाबार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि से भरसक प्रयास कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम धनराशि प्राप्त की जा रही है।

7.2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- विभाग को वर्ष 2019–20 में निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध आवंटन रु. 8378.00 करोड़ के विरूद्ध दिसंबर 2019 तक रु. 5257.40 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- वर्ष 2019–20 में विभाग द्वारा 2.00 लाख हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई पूर्ण की गई तथा रबी सिंचाई हेतु लक्ष्य 30.71 लाख हेक्टर के विरुद्ध 20 जनवरी 2020 तक 27.39 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जा चुकी है।
- सिंचाई के दौरान जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों एवं नहर के अंतिम छोर के किसानों से मोबाईल फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे सतत् संपर्क करके सिंचाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई जिससे नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुॅचाना सुनिश्चित किया गया।
- वर्ष 2019–20 में विभिन्न मदों के अंतर्गत दिसंबर–2019 तक 56 नवीन लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। जिनके पूर्ण होने पर कुल 17867 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- वर्ष 2019–20 में कुल 100 लघु योजनाएं पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर–2019 तक कुल 55 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, इनसे 18955 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।
- वर्ष 2019–20 में 04 परियोजनाएं क्रमशः माही, मोहनपुरा, गरोठ एवं बानसुजारा में प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम द्वारा लक्षित 67959 हेक्टेयर के विरूद्ध दिसम्बर 2019 तक 33212 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है।
- नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 3 वृहद एवं 1 मध्यम परियोजना (कुल 4 योजनाएं) निर्माणाधीन हैं।
- कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 27997 हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 2019 तक 16814 हेक्टर में कमांड क्षेत्र विकास कार्य किये गये हैं।
- विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अंतर्गत केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई द्वारा वर्ष 2019–20 में निर्माणाधीन परियोजनाओं के बांधों, नहरों, बैराज एवं स्टाप डेम हेतु छोटे बड़े आकार के

कुल 546 जल द्वारों का निर्माण कार्य एवं स्थापना का कार्य उच्च गुणवत्ता एवं निश्चित समयावधि में आर्थिक मितव्ययिता के साथ पूर्ण किया।

- संथाओं के अनुभव का लाभ लेने के उददेश्य से जल उपभोक्ता संथाओं का कार्यकाल 05 वर्ष किया गया है तथा दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली के परियोजना क्षेत्रो में संथाओं के गठन का प्रावधान ''मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी के अधिनियम'' में किया गया है।

तवा परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर(ई.आर.एम) कि.मी. 20.28

पेंच प्रोजेक्ट, जिला छिंदवाड़ा

पेंच कैनॉल, जिला छिंदवाड़ा

नोट्स

नोट्स

गोडबोले आटोमैटिक गेट्स, चांदपाठा, जिला शिवपुरी

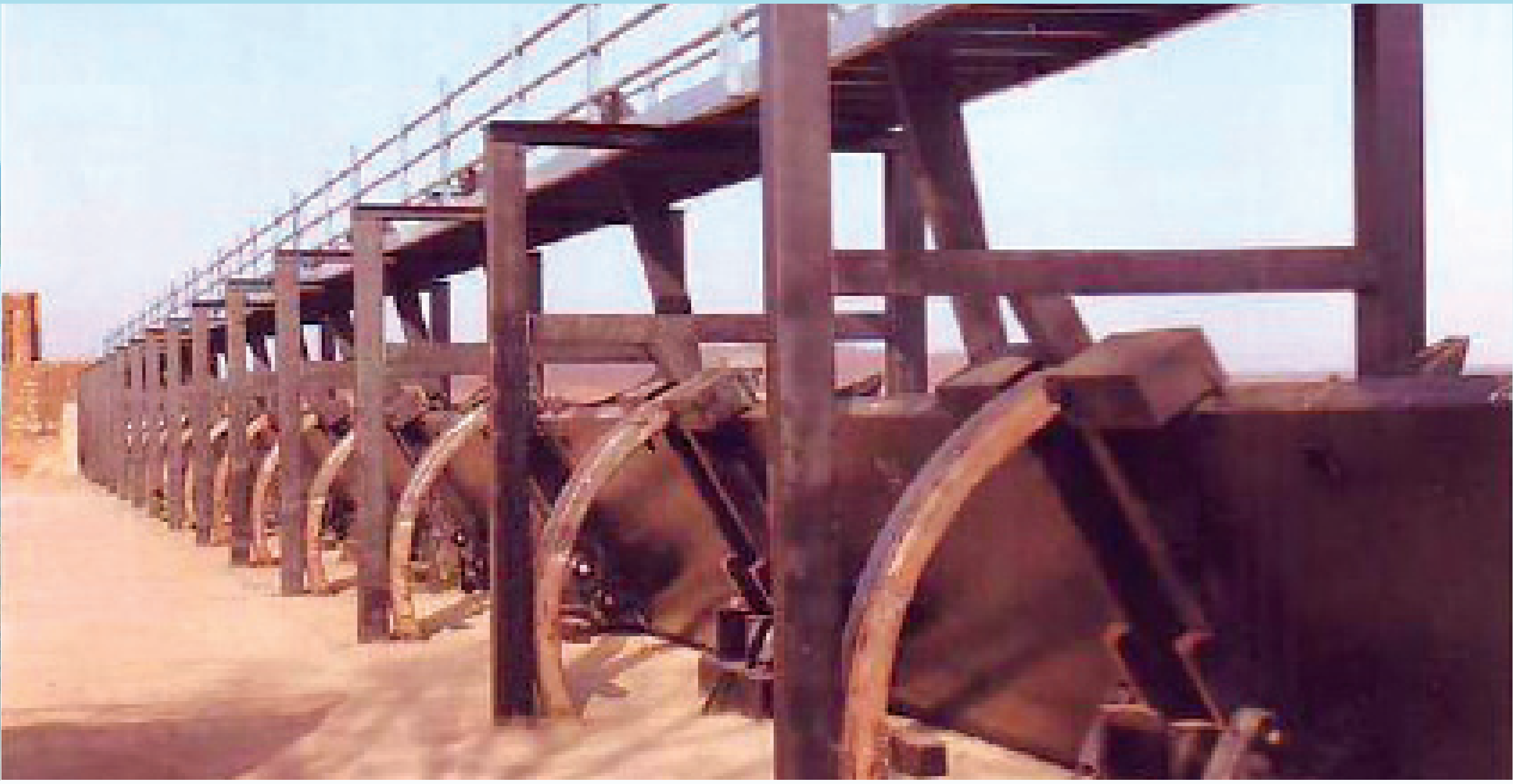

वर्टिकल लिफ्ट फिक्स वील गेट का निर्माण (केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई भोपाल)

देवपूर बैराज

निमार्ण वर्ष: 2018

सिंचाई क्षमता: 400 हेक्टे.

जल भराव क्षमता: 1.34 मि.घ.मी

स्वीकृत लागत: 772.02 लाख

धिनका बैराज

निमार्ण वर्ष: 2017-18

सिंचाई क्षमता: 500 हेक्टे.

जल भराव क्षमता: 1.42 मि.घ.मी

स्वीकृत लागत: 830.02 लाख

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)–462003
दूरभाश : 0755–2552646, 2552878 फैक्स: 0755–2552406
ई–मेल : encwrbpl-mp@nic.in